ग्यारहवीं योजना के दौरान
विशेष सहायता कार्यक्रम (सेप)
की विशेष योजना हेतु दिशानिर्देश

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
बहादुर शाह जफर मार्ग
नई दिल्ली – 110 002
वेबसाइट : **www.ugc.ac.in**

ग्यारहवीं योजना के दिशानिर्देश

विशेष सहायता कार्यक्रम (सेप)

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग,
बहादुरशाह जफर मार्ग,
नई दिल्ली–110002

1. **प्रस्तावना**

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के शिक्षा आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए 'सेप' योजना 1963 में शुरू की। इसका उद्देश्य उन चुनिन्दा विश्वविद्यालय विभागों को सुविधा उपलब्ध कराना था जिनमें अनुसंधान और शिक्षण की संभाव्यता है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य उच्च शिक्षण और अनुसंधान में उत्कृष्टता तथा टीमकार्य को प्रोत्साहित करना है ताकि विशिष्ट क्षेत्रों में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर शीघ्र प्राप्त किये जा सकें। ऐसा सबसे पहला कार्यक्रम 'उच्च अध्ययन केन्द्र' (सी.ए.एस.) के रूप में 1963 में शुरू किया गया था। इनमें से कुछ केन्द्रों को यू.एन.डी.पी./यूनेस्को से भी मान्यता एवं वित्तीय सहायता मिली है। 'विशेष सहायता विभाग (डी.एस.ए.)' तथा विभागीय अनुसंधान सहायता (डी.आर.एस.)' विभागों में क्रमशः 1972 और 1977 में प्रारंभ किये गये ताकि सी.ए.एस. के लिए फीडर विभाग बनाये जा सकें।

विशेष सहायता कार्यक्रम (सेप)–स्तर

सेप योजना को 3 स्तर पर कार्यान्वित किया गया है।

1. उच्च अध्ययन केन्द्र (सी.ए.एस.)
2. विशेष सहायता विभाग (डी.एस.ए.)
3. विभागीय अनुसंधान सहायता (डी.आर.एस.)

2. **उद्देश्य**

विशेष सहायता कार्यक्रम (सेप) के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं–

क. उन विश्वविद्यालय विभागों का पता लगाना और उनकी सहायता करना जिनमें सम्बद्ध विषयों सहित विभिन्न शैक्षिक विषयों में उच्च कोटि का शिक्षण और अनुसंधान शुरू करने की संभाव्यता है।

ख. कार्यक्रम सामाजिक जरूरतों के संगत होगा और इसमें समाज तथा उद्योग की अन्योन्य क्रिया होगी।

ग. अनुसंधान को उत्तम शिक्षण तथा अभिज्ञात प्रणोद क्षेत्रों से संबंधित नये पाठ्यक्रमों को लागू करने के लिए उत्प्रेरक बनाना।

घ. अनुसंधान संगठनों से सम्पर्क स्थापित करना और विश्वविद्यालयों में अनुसंधान को सहारा देने के लिए विशेषज्ञता का नवाचारी रूप से प्रयोग करना।

ड. आधार–संरचनात्मक सुविधाओं में वृद्धि करना।

च. राष्ट्र तथा समाज के विकास के लिए अनुसंधान का उपयोग करना।

छ. अभिज्ञात प्रणोद क्षेत्रों में उच्च कोटि के मानव संसाधन प्रशिक्षित एवं सृजित करना।

ज. नये/व्यापक क्षेत्र (क्षेत्रों) की तलाश करना और उसका/उनका सम्वर्धन एवं विकास करना।

उपर्युक्त उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अनुसंधान संगठनों तथा डी.एस.टी., सी.एस.आई.आर., डी.आर.डी.ओ., डी.बी.टी. आदि के साथ सम्पर्कों का प्रयोग विश्वविद्यालयों में अनुसंधान का नवाचारी ढंग से किया जाना चाहिए।

3. **पात्रता**

कोई भी वह विश्वविद्यालय विभाग 'सेप' के अधीन अपना प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकता है जो यू.जी.सी. अधिनियम, 1956 की धारा 2(च) और 12(ख) के तहत अर्हक है और जो उच्च कोटि का शिक्षण एवं अनुसंधान शुरू करने की संभाव्यता रखता है।

विस्तृत सूचना निर्धारित फार्मेट **(अनुलग्नक –1) में प्रस्तुत की जायेगी। 'सेप' के तहत पात्र होने के लिए विभाग में कम से कम एक प्रोफेसर, दो रीडर और तीन लेक्चरार होने चाहिए।**

4. कार्यक्रम की अवधि

विशेष सहायता कार्यक्रम (सेप) की अवधि विशिष्ट चरण के लिए **पांच वर्ष** की होगी।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 'डी.आर.एस.' और 'डी.एस.ए.' के उसी स्तर पर तीन सत्रों (प्रत्येक पांच वर्ष का होगा) से अधिक अवधि के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध नहीं करायेगा। यदि डी.आर.एस./सी.ए.एस. के स्तर पर विभाग के निष्पादन में पर्याप्त सुधार होता है तो विभाग के डी.एस.ए./सी.ए.एस, जैसा भी मामला हो, के स्तर पर उन्नयन के बारे में विचार किया जा सकता है। डी.आर.एस./डी.एस.ए. स्तर पर तीन सत्रों के लिए सहायता प्राप्त करने के बाद भी कार्यक्रम के निष्पादन में पर्याप्त सुधार नहीं होता है। चौथे चरण के लिए समीक्षा समिति की सिफारिश की जाती है तो यू.जी.सी. कार्यक्रम को बन्द कर देगा।

अनुमोदित चरण के कार्यान्वयन की प्रभावी तारीख आगामी वर्ष की पहली अप्रैल होगी। विभाग को कार्यक्रम इसके अनुमोदन की तारीख से छह महीने के भीतर या अगले वित्त वर्ष की पहली अप्रैल से, इनमें जो भी पहले हों, स्वीकार एवं कार्यान्वित करना होगा अन्यथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को कार्यक्रम का रद्द करने की स्वतंत्रता होगी।

5. सहायता का स्वरूप

कार्यक्रम के विभिन्न स्तरों पर वित्तीय सहायता की अधिकतम सीमा इस प्रकार होगीः

कार्यक्रम/स्थिति	वित्तीय सहायता * (रु0 लाख में)	
	विज्ञान, इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी	गणित, सांख्यिकी मानविकी और सामाजिक विज्ञान
सी.ए.एस.	150	100
डी.एस.ए.	100	75
डी.आर.एस.	75	60

*शिक्षण स्टाफ एवं अनुसंधान एसोशियेट/प्रोजेक्ट फेलो के वेतन सहित

वित्तीय सहायता व्यय की अनावर्ती तथा आवर्ती मदों के लिए उपलब्ध कराई जायेगी। अनावर्ती तथा आवर्ती के अंतर्गत आने वाली मदों का ब्यौरा **अनुलग्नक–I के परिशिष्ट** में दिया गया है।

5.1 छात्रों का संबद्धन (निष्णांत, उपाधि भाग–I और स्नातक भाग–II)

क. पड़ोसी विश्वविद्यालयों/कालेजों से प्रत्येक वर्ष 4 मेघावी छात्र जिन्होंने निष्णांत उपाधि के भाग–I (परीक्षा दी हो) तथा दो छात्र जो स्नातक भाग–II (परीक्षा में बैठे हों) को छह माह के लिए सेप सहायता वाले विभागों के साथ संबद्ध किया जाएगा ताकि उन्हें अनुसंधान अनुभव से अवगत करया जा सके। उनकी नियुक्ति योग्यता के आधार पर की जा सकती है।

ख. छात्र को उनकी संबद्धता के दौरान परियोजना कार्य दिया जाना चाहिए तथा प्रत्येक छात्र को उनकी रुचि के चिन्हित प्रणोद क्षेत्र के अनुसार मार्गदर्शन हेतु एक संकाय सदस्य को नियत किया जाना चाहिए।

ग.(i) आयोग प्रत्येक छात्र को संबद्धन के दौरान प्रतिमाह रेल/बस द्वारा वास्तविक द्वितीय श्रेणी का किराया तथा उन्हें दिए गए कार्य के लिए लेखन सामग्री, क्षेत्र

कार्य, मरम्मत तथा अनुसंधान गतिविधियों के लिए प्रतिवर्ष छात्र 8000 रुपये की आकस्मिता राशि भी प्रदान करेगा। विश्वविद्यालय विभाग जहां छात्र कार्यरत हो, वह छात्र को जहां से छात्र संबद्धन कार्यक्रम में भाग लेने आ रहा है, उस विश्वविद्यालय विभाग से आवश्यक दस्तावेजों के साथ–साथ कार्यक्रम में भाग लेने की तिथि के आधार पर छात्रों को अनुदान प्रदान कर सकता है। वि0अ0आ0, परामर्शदात्री समिति द्वारा स्वीकृति दिए जाने के बाद प्रतिपूर्ति कर देगा, जहां वि0अ0आ0 द्वारा संबंधित संस्थान जहां छात्र कार्यरत हो, जारी किए जाने हेतु दर्शायी गई है।

(ii) चिन्हित प्रणोद क्षेत्रों के साथ–साथ ग्रामीण कार्य के लिए उद्योग, राष्ट्रीय संगठनों के सहयोग से परियोजनाओं का चुनाव किया जा सकता है। छात्र तथा संबंधित शिक्षक जिसे छात्र के साथ संबद्ध किया जाना है, वह परियोजना कार्य को आरंभ करने के लिए उद्योग अन्य संगठनों का दौरा कर सकता है। यह विभाग, छात्र तथा शिक्षक का बाहरी संगठनों के साथ संपर्क सृजन करने में मदद करेगा। इसलिये गत्यात्मकता सुनिश्चित की जा सकती है।

(iii) विभाग को प्रत्येक वर्ष जनवरी और मार्च के बीच संबंधित विश्वविद्यालय/कालेज से पत्र व्यवहार करना चाहिए तथा संपर्क साधना चाहिए ताकि अनुसंधान संबद्धन हेतु पात्र छात्रों को योग्यता के आधार पर चुना जा सके।

5.2 उपस्कर की लागत में वृद्धि

विदेशी मुद्रा के मुकाबले रुपया अवमूल्यन होने पर अधिसंख्य अत्याधुनिक उपस्करों की कीमत में भी वृद्धि हो जाती है और संबंधित विभाग लागत में वृद्धि हो जाने के कारण अनुमोदित राशि के सीमा के अंतर्गत अनुमोदित उपस्कर मुहैया नहीं कर पाते हैं। यदि लागत में ऐसी वृद्धि होती है तो 'सेप' सहायता प्रदत्त विभागों को अपने दावे का औचित्य सिद्ध करने के लिए विनिमय दर प्रलेखों आदि सहित संलग्न

विहित फार्म–**अनुलग्नक – II** में विस्तृत सूचना तथा बैंक दस्तावेज प्रस्तुत करने चाहिए।

लागत वृद्धि से बचने के लिए संबंधित विभाग/विश्वविद्यालय यू.जी.सी. अनुदान प्राप्त करने के तुरन्त बाद अनुमोदित उपस्करों का आर्डर देकर अनुदानों से संबंधित दिशा–निर्देशों और शर्त एवं निबन्धनों के अनुसार उचित कदम उठायेंगे।

5.3 उपस्कर अनुदान हेतु 5 प्रतिशत अनुरक्षण

इस कार्यक्रम के अधीन अनुमोदित उपस्करों के लिए अनुरक्षण, आधुनिकीकरण, उन्नयन उपसाधनों, अतिरिक्त पुर्जों आदि को प्रति वर्ष अनुमोदित उपस्कर के खरीद मूल्य के 5% की दर से प्राप्त किया जा सकता है। इसे संविदा के आधार पर वारन्टी अवधि की समाप्त होने की तारीख से कार्यक्रम की अवधि के अंत तक प्राप्त किया जा सकता है। उसके बाद, इसे विश्वविद्यालय/संस्थान द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा। अनुरक्षण मदों पर व्यय को आकस्मिता शीर्ष से पूरा किया जाएगा।

5.4 'सेप' के अधीन अनुसंधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

क. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विश्वविद्यालय तथा सलाहकार समिति की सिफारिशों के आधार पर एक वर्ष में दो से छह महीने तक की अवधि के लिए 'सेप' विभागों के दो शिक्षकों को अभिज्ञात विदेशी विश्वविद्यालय/अनुसंधान संस्थान में भेजे जाने के एक सुनिश्चित सहयोगी अनुसंधान कार्यक्रम पर विचार कर सकता है। सहयोगी कार्यक्रम के प्रस्ताव में भारतीय तथा विदेशी–दोनों के पक्षों के उद्देश्यों और सहयोगी क्षेत्रों का उल्लेख स्पष्ट रूप से किया जायेगा। उक्त सहयोग अनुसंधान क्षेत्रों, विधियों/उत्पादों/विकसित किये जाने वाले आदि प्ररूप पर विशेष ध्यान दिया जायेगा। इसमें इस बात का भी विशेष उल्लेख किया जायेगा कि ऐसे अनुसंधान तथा सहयोगी कार्यक्रम के पेटेन्टों और अधिकारों को दोनों पक्षों द्वारा किस प्रकार अनुरक्षित किया जायेगा। वे

शिक्षक तथा समूह (ग्रुप) जो सहयोग कर रहे होंगे, विदेश जाने का अपना चरणबद्ध कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे और उसके साथ वे यह भी प्रस्तुत करेंगे कि उस चरण में जो कार्य शुरू किया जायेगा वह किस प्रकार का होगा। विभाग अन्य सहायता का भी उल्लेख करेगा जो ऐसे सहयोग के अधीन प्राप्त की जा रही है। उपयुक्त सहयोगी कार्यक्रम के संबंध में एक करार तैयार किया जा सकता है और उसको पक्षों द्वारा अंतिम रूप दिया जा सकता है। इस करार में सहयोग के अंतर्गत शुरू किये जाने वाले क्षेत्र (क्षेत्रों), सम्भावित समय–सीमा चरणबद्ध कार्ययोजना का विवरण दिया जायेगा। उसके बाद इस दस्तावेज को सलाहकार समिति के समक्ष रखा जायेगा। तद्नुसार इस संकल्प को यू.जी.सी. –सेप प्रभाग के विचारार्थ अनुमोदनार्थ एवं कार्यान्वयनार्थ भेजा जा सकता है।

ख. आयोग प्रत्येक सहयोगी 'सेप' विभाग को विदेश में अभिज्ञात विश्वविद्यालय विभाग या अनुसंधान संस्थान के साथ सहयोग करने के लिए प्रति वर्ष रुपये 2,50,000/– (उपलब्ध होने पर अतिरिक्त अनुदान के रूप में) की सहायता उपलब्ध करायेगा। सहायता निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए प्रदान की जायेगी–

(i) 'सेप' विभाग द्वारा दो शिक्षकों को हवाई भाड़ा उपलब्ध कराया जाना और विदेशी सहयोगी विश्वविद्यालय/अनुसंधान संस्थान के दो शिक्षकों को भारत में उसी स्केल पर स्थानीय आतिथ्य सत्कार और यात्रा उपलब्ध कराना जो यू.जी.सी. के सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम पर लागू होता है।

(ii) 'सेप' विभाग से दो शिक्षकों के लिए स्थानीय आतिथ्य–सत्कार विदेशी सहयोगी विश्वविद्यालय/अनुसंधान संस्थान के मानकों के अनुसार विदेशी सहयोगी विश्वविद्यालय/अनुसंधान संस्थान द्वारा किया जायेगा।

(iii) विदेशी सहयोगी विश्वविद्यालय/अनुसंधान संस्थान के शिक्षक का हवाई किराया उन्हीं के द्वारा दिया जायेगा और स्थानीय आतिथ्य–सत्कार का व्यय संबंधित सहयोगी विभाग द्वारा पूरा किया जायेगा। सहायता प्राप्त करने के लिए, सहयोगी 'सेप' विभाग यू.जी.सी. के अनुमोदन तथा ग्राह्य अनुदान जारी करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करेगा–

सुनिश्चित सहयोग प्रस्ताव का संकल्प (उद्देश्य सहित), पूरी कार्य योजना और 'सेप' विभाग के उचित सहयोगी प्राधिकारी और विदेशी सहयोगी विश्वविद्यालय/अनुसंधान संस्थान के बीच निष्पादित करार की एक प्रति जो सलाहकार समिति, जिसमें यू.जी.सी. के विशेषज्ञ नामिती (नामितियों) का होना अनिवार्य है, के अध्यक्ष के रूप में कुलपति द्वारा अग्रेषित की गयी हो।

6. योजना के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया

वि0अ0आ0, पात्र विश्वविद्यालयों से प्रस्ताव आमंत्रित कर सकता है, जिनमें उच्च कोटि का शिक्षण एवं अनुसंधान करने की संभाव्यता है, वे अपने प्रस्ताव प्रत्येक वर्ष अप्रैल/मई माह में प्रस्तुत कर सकते हैं।

7. यू.जी.सी. द्वारा अनुमोदन प्रदान किये जाने की प्रक्रिया

7.1 सेप–डी.आर.एस. के अधीन नये प्रस्तावों की संक्षिप्त सूची बनाना

पात्र विश्वविद्यालय के विभागों द्वारा उचित माध्यम से प्राप्त कार्यक्रम के दिशा–निर्देशों के अनुसार विधिवत रूप से तैयार किये गये सभी प्रस्तावों की छानबीन की जायेगी और विषय विशेषज्ञ समितियों द्वारा उनकी संक्षिप्त सूची तैयार की जायेगी। **(अनुलग्नक – III)**

7.2 विषय प्रवेशन समिति द्वारा विभागों का प्रवेशन

संक्षिप्त सूचीगत प्रस्तावों पर प्रवेश समिति विचार करेगी जिसे यू.जी.सी. द्वारा गठित किया जायेगा। विषय प्रवेशन समिति के सदस्य संक्षिप्त सूचीगत विषय–विशेषज्ञ समिति के सदस्यों से भिन्न होंगे। समिति विश्वविद्यालय के संबंधित विभाग का दौरा

करेगी और अभिज्ञात प्रणोद क्षेत्र (क्षेत्रों) में कार्यक्रम चलाने के लिए विभाग के प्रतिनिधियों के परामर्श से कार्यक्रम की अवधि या अधिवर्षिता तक के लिए समन्वयक तथा उप–समन्वयक का पता भी लगायेगी। नये विभागों के प्रवेश के लिए समिति की सिफारिशों का अनुमोदन आयोग करेगा। **(अनुलग्नक– IV)**

7.3 प्रवेशन समिति के विचारार्थ विषय

(i) समिति अधिमान्यतः 2 या 3 से अनधिक प्रणोद क्षेत्रों या ग्रुप अनुसंधान क्षेत्रों का पता लगायेगी जो विभाग में मात्र उत्कृष्टता पर ही आधारित नहीं होंगे। राष्ट्रीय या वैश्विक प्राथमिकता/अग्रता को अग्रता को ध्यान में रखते हुए प्रणोद दिशा का पता लगाया जायेगा जहां ऐसी प्रगतियां व्यवहार्य होंगी और जिनमें विकास संवृद्धि की संभाव्यता एवं भावी प्रत्याशाएं स्पष्ट रूप से झलकती होंगी।

(ii) अभिज्ञात क्षेत्रों को सहायता प्रदान करते समय यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि ऐसी सुविधाओं का पता लगाया जाना चाहिए जिन्हें विभाग विकास एवं उत्कृष्टता बनाये रखने या कार्यक्रम के उद्देश्यों के अनुसार कार्य सृजित करने के लिए चाहता हो।

7.4 समन्वयक/उप–समन्वयक का पता लगाना

(i) समिति कुलपति तथा संकाय सदस्यों के परामर्श से कार्यक्रम के **समन्वयक का पता लगायेगी**/अभिज्ञात प्रणोद क्षेत्र का **वरिष्ठतम प्रोफेसर** या प्रणोद क्षेत्र में **सर्वाधिक सक्रिय** (इसका निर्णय समिति करेगी) **प्रोफेसर** एक समन्वयक के रूप में कार्य कर सकता है। समन्वयक अन्य क्षेत्रों के हित का भी ध्यान रखेगा ताकि विभाग में समस्त विकास किया जा सके और स्तर बनाये रखा जा सके। समन्वयक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि 'सेप' के अधीन उपलब्ध कराई

गयी तथा विभाग में उपलब्ध अन्य वर्तमान सुविधाओं का इष्टतम उपयोग किया जाना चाहिए। प्रोफेसर जिसे कार्यक्रम का समन्वयक नियुक्त किया गया है उसमें अधिवर्षिता से पूर्व कम से कम तीन वर्ष की सेवा शेष बची होनी चाहिए।

(ii) वित्तीय सीमा और कार्यक्रम के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए समिति अभिज्ञात क्षेत्रों में उत्कृष्टता की संवृद्धि, विकास तथा सृजन के लिए परम आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विशिष्ट वित्तीय सिफारिशें कर सकती हैं। संस्तुत वित्तीय नियतन के साथ उपस्करों एवं अन्य मदों सहित विशिष्ट सुविधाओं का उल्लेख फार्मेट के संबंधित कॉलम में किया जा सकता है।

8. अनुदान जारी करने की प्रक्रिया

प्रवेशन समिति द्वारा की गई और यू.जी.सी. द्वारा अनुमोदित सिफारिशों के आधार पर समिति द्वारा संस्तुत वित्तीय सहायता की सूचना कुछ शर्तों और निबन्धनों के अधीन संबंधित विश्वविद्यालय के चुनिन्दा तथा नये शामिल किये गये विभाग को दी जायेगी। यू.जी.सी. के पत्र में उल्लिखित शर्तों और निबन्धनों की स्वीकृति प्राप्त होने पर यू.जी.सी. कार्यक्रम के प्रथम वर्ष के लिए कुल अनावर्ती तथा आवर्ती अनुदान की मंजूरी देगा।

8.1 अनुदान प्राप्त करने की शर्तें

दिन–प्रतिदिन आधार पर कार्यक्रम के कार्यान्वयन में कठिनाई से बचने के लिए यू.जी.सी. चाहता है कि विश्वविद्यालय को अनुमोदित अवधि के दौरान कार्यक्रम के सफल कार्यान्वयन के लिए विश्वविद्यालय में विभाग (सेप सहायता प्रदत्त) को पर्याप्त प्राधिकार का प्रत्यायोजन करना चाहिए।

i. विश्वविद्यालय तथा विभाग रजिस्ट्रार को नाम सूचित करेंगे जो कार्यक्रम के लिए विश्वविद्यालय की ओर से अनुदान प्राप्त करेगा।

ii. इस कार्यक्रम के अधीन अनुमोदित सहायता प्राप्त करने के उद्देश्य के पूरे पते के साथ बैंक का नाम और खाता नम्बर **(सेप के लिए)** यू.जी.सी. को सूचित किया जा सकता है। इस कार्यक्रम के अधीन अनुदान के लिए एक पृथक खाता रखना अति आवश्यक है जो विश्वविद्यालय प्राधिकारियों/यू.जी.सी. तक ही सीमित हो।

iii . समन्वयक को संबंधित विभाग के अध्यक्ष को सूचित करते हुए सलाहकार समिति के निदेशों के अनुसार आर्डर देने और कार्य करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। यदि सलाहकार समिति आवश्यक समझती हो तो वह ऐसे मामले में कार्रवाई करने के लिए क्रय समिति का गठन कर सकती है।

iv. **यू.जी.सी. द्वारा जारी किये गये अनावर्ती अनुदान का उपयोग विभाग/विश्वविद्यालय द्वारा अनुदान को प्राप्त करने की तारीख से दो वर्ष के भीतर अवश्य कर लिया जाना चाहिए अन्यथा यू.जी.सी. अनावर्ती अनुदान की अप्रयुक्त राशि को वापस करने के लिए कह सकता है।**

v. दूसरी तथा अनुवर्ती किस्तें तभी जारी की जायेंगी जब निम्नलिखित दस्तावेज प्राप्त हो जायेंगेः–

(क). निर्धारित प्रोफार्मा (**अनुलग्नक– V**) में पिछले वर्ष के लिए प्रदत्त अनुदान में से किये गये वास्तविक व्यय का वर्षवार एवं मदवार विवरण जिस पर रजिस्ट्रार, वित्त अधिकारी तथा कार्यक्रम के समन्वयक के विधिवत् हस्ताक्षर हों।

(ख). निर्धारित फार्म (**अनुलग्नक– VI**) में उपयोग प्रमाणपत्र जिस पर रजिस्ट्रार, वित्त अधिकारी और समन्वयक के विधिवत् हस्ताक्षर हों।

(ग). विश्वविद्यालय लेखाओं की परीक्षा किये जाने के तुरन्त बाद कार्यक्रम का लेखापरीक्षित विवरण भी प्रस्तुत करेगा जिसकी विधिवत् परीक्षा विश्वविद्यालय के सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा की गयी होगी।

(घ). विभाग को निर्धारित फार्मेट (**अनुलग्नक– VII**) में एक वार्षिक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। उसके साथ सलाहकार समिति की बैठक की कार्यवाहियों की एक प्रति भी भेजी जायेगी जिसमें बाहरी विशेषज्ञों (यू.जी.सी. के नामिती) के विशेष प्रेक्षण/टिप्पणियां दी जायेंगी।

(ड.) 'सेप' के लिए अनुमोदित अनुसंधान/शिक्षण कर्मिकों के वेतन अदायगी के लिए यू.जी.सी. की सहायता कार्यग्रहण की तारीख से और कार्यक्रम की अनुमोदित अवधि के अंत तक दी जायेगी। उसके बाद, ऐसे स्टॉफ की आवर्ती देयताओं का भार राज्य सरकार/विश्वविद्यालय द्वारा उठाया जायेगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 'सेप' के अधीन की गयी नियुक्ति को जारी रखने के लिए विधिक अथवा वित्तीय रूप से जिम्मेदार नहीं होगा।

(च). यदि विश्वविद्यालय कार्यक्रम की अवधि पूरी होने की तारीख तक सेप के तहत संस्वीकृत पदों पर नियुक्ति/भर्ती नहीं कर सका, यदि कोई हो तो, रिक्त पद स्वतः व्यपगत हो जायेंगे।

8.2 एएसआईएचएसएस कार्यक्रम

''सामाजिक विज्ञान के लिए अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण हेतु सहायता (एएसआईएचएसएस)'' को वर्ष 1983 में इस उद्देश्य के साथ आरंभ किया गया था कि विश्वविद्यालयों में कला तथा सामाजिक विज्ञान विभागों का चयन किया जा सके जिन्होंने पहले ही उच्च गुणवत्ता प्राप्त कर उसका निष्पादन कर लिया है ताकि उन्हें अवसंरचना का विकास करने के लिए आवश्यक उपस्करों की प्राप्ति हेतु सक्षम बनाया जा सके, जिसे सेप अनुदान/सामान्य विश्वविद्यालय विकास अनुदान से प्रदान नहीं किया जा सकता है। वि0अ0आ0 ने विभिन्न विभागों को योजना के तहत सहायता प्रदान की है। साथ ही, यह पाया गया कि योजना के तहत सहायता की मदें, सेप कार्यक्रम से मिलती जुलती है। दोनों योजनाओं के तहत अधिकांश मदें एक जैसी हैं।

वि0अ0आ0 ने निर्णय लिया है कि ग्यारहवीं योजना के दौरान एएसआईएचएसएस योजना का सेप कार्यक्रम के तहत विलय/शामिल किया जाए। 11वीं योजना के दिशा–निर्देशों में सेप के तहत वित्तीय सहायता को बड़े पैमाने पर बढ़ाया गया है। इसलिए, एएसआईएचएसएस योजना के तहत कोई अलग से आवंटन नहीं किया जाएगा।

9. योजना की प्रगति का परिवीक्षण करने के लिए प्रक्रिया

'सेप' के अधीन सहायता प्राप्त विभाग द्वारा की गयी प्रगति, निष्पादन तथा उपलब्धियों का परिवीक्षण/मूल्यांकन तथा समीक्षा निम्नलिखित समितियां करेंगी–

क. सलाहकार समिति

ख. मध्यावधिक अनुवीक्षण तथा मूल्यांकन समिति

ग. अन्तिम समीक्षा समिति

9.1 सलाहकार समिति का गठन तथा कार्यकरण

समिति का संघटन इस प्रकार होगाः–

1.	कुलपति	:	अध्यक्ष
2.	विभागाध्यक्ष	:	सदस्य
3.	प्रत्येक अभिज्ञात प्रणोद क्षेत्र में अनुसंधान में भाग लेने वाला वरिष्ठतम प्रोफेसर	:	सदस्य
4.	अभिज्ञात प्रणोद क्षेत्रों को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में पूर्व–स्नातक तथा स्नातकोत्तर शिक्षण से संबंधित एक वरिष्ठ शिक्षक	:	सदस्य
5.	यू.जी.सी. नामितियों के रूप में दो बाहरी विशेषज्ञ	:	सदस्य
6.	समन्वयक	:	सदस्य सचिव

<u>सलाहकार समिति के विचारार्थ विषय तथा भूमिका इस प्रकार होगी</u> :–

(i) सलाहकार समिति कार्यक्रम के पूरे कार्यकाल के लिए सक्रिय भूमिका अदा करेगी।

(ii) सलाहकार समिति की बैठक वर्ष में एक बार होगी और बैठकों की तारीखें काफी समय पहले निर्धारित की जायेंगी ताकि यू.जी.सी. के नामितियों/बाहरी विशेषज्ञों की सहभागिता सुनिश्चित हो सके।

(iii) (क) सलाहकार समिति अकादमिक शिक्षण, अनुसंधान, सहयोग, विस्तार तथा भावी कार्यक्रमों, उपस्कर की अधिप्राप्ति तथा यू.जी.सी. द्वारा आवंटित उपस्करों के रखने पर होने वाले व्यय का परिवीक्षण और समीक्षा करेगी। समिति अन्तर्राष्ट्रीय सहयोगी कार्यक्रमों, छात्रों के प्रशिक्षण, अनुसंधान तथा प्रौद्योगिकी उत्पाद के प्रयोग, उत्पाद के पेटेन्ट फाइलिंग या वाणिज्यीकरण, संसाधन सृजन या पेटेन्ट संवर्धन, अनुसंधान छात्रों की संलग्नता तथा कार्यक्रम के अधीन अन्य संबंधित गतिविधियों की भी जांच–पड़ताल करेगी।

(ख). समिति समय–समय पर पाठ्यक्रमों को अध्यन करने पर भी विचार करेगी।

(iv) सलाहकार समिति प्रायः ऐसे नये प्रस्तावों की सिफारिश नहीं करेगी जिनके लिए यू.जी.सी. से वित्त की याचना करनी पड़े। बहरहाल, वह कार्यक्रम के अधीन पहले से ही अनुमोदित राशि के उचित उपयोग के लिए सलाह देगी और विभाग में कार्य की प्रगति को ध्यान में रखते हुए यथावश्यक पुर्विनियोजनों का सुझाव देगी।

(v) इस कार्यक्रम के अधीन मंजूर की गयी राशि पर उपचित ब्याज, यदि हो, अतिरिक्त अनुदान माना जायेगा। सलाहकार समिति को ऐसी राशि का उचित प्रयोग करने के संबंध में सुझाव देना चाहिए। विश्वविद्यालय/विभाग को कार्यक्रम का वार्षिक लेखा प्रस्तुत करते समय ब्याज से हुई आय के उपयोग के संबंध में भी यू.जी.सी. को सूचित करना होगा।

(vi) कार्यक्रम समन्वयक समिति द्वारा सुझाई गयी प्रक्रिया के अनुसार कार्यक्रम के अधीन संस्वीकृत उपस्कर को मुहैया कर सकता है। चूंकि कार्यक्रम का चरण समयबद्ध होता है अतः इस संबंध में विश्वविद्यालय के अधिशासी/अभिषद् (सिंडीकेट) का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक नहीं है।

(vii) सलाहकार समिति की बैठकों का व्यय इस प्रयोजन के लिए आवंटित किये गये विशिष्ट आवर्ती अनुदान से पूरा किया जा सकता है।

(viii) यदि अपरिहार्य कारणों से सलाहकार समिति की बैठक में यू.जी.सी. का नामिती अनुपस्थित हो तो नामिती से यह अनुरोध किया जा सकता है कि वह अपनी राय दे बशर्ते कि नामिती का मत समिति के निर्णय से भिन्न हो। यू.जी.सी. के नामिती की राय पर अगली बैठक में या आपात स्थिति में अध्यक्ष द्वारा विचार किया जायेगा।

9.2 मध्यावधि अनुवीक्षण तथा मूल्यांकन समिति

यू.जी.सी. द्वारा गठित की गयी मध्यावधि परिवीक्षण समिति कार्यक्रम के तीसरे वर्ष अकादमिक, अनुसंधान की उपलब्धियों तथा कार्यक्रम के प्रथम दो वर्ष के दौरान किये गये प्रगति का मूल्यांकन और समीक्षा करेगी। यह सलाहकार समिति द्वारा कार्यक्रम का परिवीक्षण करने के लिए अतिरिक्त कार्य होगा। समीक्षा समिति मौके पर विभागों का निरीक्षण करके तथा चुनिन्दा और आसानी से अभिगम्य विश्वविद्यालय में निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए विभागों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित करके कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा कर सकती है।

9.3 मूलभूत वैज्ञानिक अनुसंधान के तहत अवसंरचनात्मक वि0अ0आ0 अनुदानों की समीक्षा

सेप विभागों का दौरा करने वाली समीक्षा समिति, वि0अ0आ0 सशक्त समिति/सेप विभागों द्वारा जारी किए गए अवसंरचनात्मक अनुदान तथा अध्येतावृतियों सहित चलाई गई योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा भी कर सकती है। सशक्त समिति द्वारा दी गई सहायता के प्रभाव का पता लगाने के लिए सशक्त समिति की योजना के तहत दिए गए अनुदान का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

9.4 मध्यावधि परिवीक्षण तथा मूल्यांकन समिति के विचारार्थ विषय और भूमिका

1. 'सेप' के दो वर्ष पूरे होने के बाद विभाग निर्धारित फार्मेट **(अनुलग्नक–VII)** में प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। यू.जी.सी. ग्रुप परिवीक्षण का आयोजन कर सकता है और उन विभागों की समीक्षा करने के लिए मौके पर दौरा कर सकता है

जिन्होंने कार्यक्रम के अनुमोदन की तारीख या यू.जी.सी. द्वारा सूचित की गयी तारीख से दो से अधिक वर्ष पूरे कर लिये हैं।

2. यह समिति मध्यावधि प्रगति तथा गतिविधियों की समीक्षा करेगी और सलाहकार समिति के कार्यवृत्त तथा सलाहकार समिति की सिफारिशों तथा यू.जी.सी. के निर्णयों के संबंध में की गयी कार्रवाई पर भी विचार करेगी।

3. समिति रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी जिसमें विभिन्न उपलब्धियों, सृजित की गयी सुविधाओं, प्राप्त किये गये उपस्कर, नियुक्त किये गये स्टॉफ/संकाय/अध्येताओं (यदि यू.जी.सी. द्वारा अनुमोदित हों,) उन निधियों का उस प्रयोजन के लिए उपयोग जिसके लिए वे उपलब्ध कराई गयी हों, समन्वयक के स्टेट्स, अभिज्ञात या आशोधित प्रणोद क्षेत्रों तथा कार्यक्रम के संगत अन्य उदीयमान क्षेत्रों आदि का विशेष उल्लेख करेगी। **(अनुलग्नक–VIII)**

4. सामान्यतः समिति द्वारा किसी भी वित्तीय अनुदान की सिफारिश नहीं की जायेगी। तथापि, समिति ऐसी विशेष बात या टिप्पणी यू.जी.सी. के विचारार्थ प्रस्तुत कर सकती है जिसे यह कार्यक्रम के निर्बाध कार्यान्वयन के लिए देना चाहती हो।

9.5 अन्तिम समीक्षा समिति

यू.जी.सी. द्वारा गठित की गयी सत्रांत/अन्तिम समीक्षा समिति में अभिज्ञात प्रणोद क्षेत्र में 2.–3 विषय–विशेषज्ञ और यू.जी.सी. का एक अधिकारी शामिल होता है। यह समिति कार्यक्रम की अवधि के अंत में प्रगति रिपोर्ट, अकादमिक तथा अनुसंधान उपलब्धियों, सृजित की गयी आधार–संरचनात्मक सुविधाओं तथा निधियों आदि के उपयोग के आधार पर विभाग की समग्र प्रगति एवं उपलब्धियों का मूल्यांकन और निर्धारण करेगी। इसके अतिरिक्त, समिति विभाग का दौरा

कर सकती है और विचार–विमर्श तथा प्रत्यक्ष सत्यापन आदि द्वारा मौके पर विभाग का निर्धारण कर सकती है।

9.5.1 अन्तिम समीक्षा समिति के विचारार्थ विषय और उसकी भूमिका

1. समिति विभाग से प्राप्त प्रगति रिपोर्ट का गहन अध्ययन करेगी।

2. समिति विभाग की प्रयोगशाला, पुस्तकालय तथा अन्य आधार–संरचनात्मक सुविधाओं का दौरा करेगी। समिति, कुलपति, वरिष्ठ संकाय सदस्य तथा शिक्षकों, प्रशासनिक प्राधिकारियों, अनुसंधान स्कॉलरों तथा छात्रों, स्टॉफ के साथ विभिन्न अकादमिक शिक्षण, अनुसंधान, सहयोगी कार्यक्रमों, विस्तार एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों, संसाधन सृजन आदि के संबंध में यथावश्यक विचार–विमर्श करेगी।

3. विभाग में काम करने वाले तथा वस्तुतः पदस्थ संकाय (प्रोफेसर, रीडर, लेक्चरार, अन्य कार्मिक) की संख्या और प्रणोद क्षेत्रों में उनकी संबद्धता पर विचार करेगी। समिति यह भी जांच करगी कि क्या राज्य सरकार या विश्वविद्यालय ने इस कार्यक्रम के अधीन यू.जी.सी. द्वारा प्रदत्त सहायता के दौरान संकाय का दायित्व ले लिया है।

4. समिति अभिज्ञान प्रणोद क्षेत्रों के विकास की प्रावस्था की भी जांच करेगी जिन्हें चरणों में सहायता उपलब्ध कराई गयी है। समिति चरण में किये गये तरमीम, समावेशन और विभाग के कुल विकास पर उसके प्रभाव की जांच भी करेगी। यह उन प्रणोद क्षेत्रों का भी पता लगायेगी जहां 'उत्कृष्ट' प्रगति की गयी है या उसका अनुरक्षण किया गया है। अभिज्ञात क्षेत्र को छोड़कर अन्य अतिरिक्त प्रणोद क्षेत्र की सिफारिश उचित तर्कसंगति के साथ की जा सकती है।

5. समिति कार्यक्रम की सहायता के बाद गुजरे वर्षों की संख्या तथा अभिज्ञात प्रणोद क्षेत्रों के अतिरिक्त सहायता के माध्यम से सृजित नये/सामान्य/उच्च प्रौद्योगिकीय/प्रणोद क्षेत्रों की जांच करेगी। इस बात की भी जांच की जायेगी कि क्या इन नये क्षेत्रों से कोई नयी उत्कृष्टता या नवाचार या प्रगति हुई है।

6. बड़े मूल्यांकन के बाद समिति विभाग के कार्यक्रम को जारी रखने/बन्द करने/उन्नत करने की सिफारिश कर सकती है। समिति कार्यक्रम से संबंधित यू.जी.सी. के दिशा–निर्देशों को ध्यान में रखते हुए संबंधित कार्यक्रम को जारी रखने/उन्नयन के वित्तीय निहितार्थों का सुझाव देगी **(अनुलग्नक–IX)**। समिति की सिफारिशें आयोग के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत की जायेंगी।

अनुलग्नक–I

–I

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

'सेप' (डी.आर.एस.) के अधीन नये प्रवेश हेतु प्रस्ताव
आमंत्रित करने के लिए फार्मेट

1. विश्वविद्यालय का नाम और पता:

   विश्वविद्यालय का स्थापना वर्ष:

2. कुल–सचिव का नाम और पता:

3. प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले पात्र

   विभाग का नाम तथा पूरा पता:

   पता :..... ई–मेल .....

   ..... फोन .....

   ..... फैक्स .....

   पिन कोड .....

4. विभागाध्यक्ष का नाम और पता :.....

5. कार्यक्रम के लिए प्रस्तावित

   समन्वयक का नाम और पता :.....

6. कार्यक्रम के लिए प्रस्तावित

   उप–समन्वयक का नाम और

   पता :.....

7. कार्यक्रम के अधीन शुरू किये

   जाने वाले अनुसंधान का

   प्रणोद क्षेत्र :.....

8. विभाग में संकाय * :.....

प्रोफेसर रीडर लेक्चरार

(क) अनुमोदित संख्या

(ख) पदस्थ

- कृपया संकाय–सदस्यों की एक सूची संलग्न कीजिये जिसमें उनका नाम, पदनाम, अर्हताओं, विशेषता तथा गत 5 वर्षों के दौरान प्रकाशनों (अन्तर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर) की संख्या का उल्लेख हो।

9. (क) गत वर्ष के दौरान विभाग में दाखिल तथा उत्तीर्ण छात्रों की संख्या

पाठ्यक्रम का नाम	**प्रवेश**	**प्रतिवर्ष उत्तीण छात्रों की औसत संख्या**	**प्रमुख क्षेत्र जिनमें छात्रों को नौकरी लगी**
<u>स्नातकोत्तर</u> 1. 2. 3.			
<u>अनुसंधान डिग्रियां</u> 1. एम.फिल. 2. पी.एच.डी.			

(ख) गत 5 वर्षों के दौरान विभाग द्वारा पूरी की गयी अनुसंधान तथा सहयोगी परियोजनाएं

राष्ट्रीय स्तर के संगठन/एजेंसियां		**अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के संगठन/एजेंसियां**	
परियोजनाओं की संख्या	राशि (रुपये लाख में)	परियोजनाओं की संख्या	राशि (रुपये लाख में)

10. (क.) गत वर्षों के दौरान संकाय द्वारा प्राप्त किये गये अवार्ड

अवार्ड का नाम	अवार्डों की संख्या	आवार्ड प्राप्तकर्ता का नाम
राष्ट्रीय स्तर		
अन्तर्राष्ट्रीय स्तर		

(ख) व्यावसायिक निकायों/अकादमियों के अध्येता

निकाय/अकादमी का नाम	स्तर, यदि हो
राष्ट्रीय स्तर	
अन्तर्राष्ट्रीय स्तर	

11. सहयोगी कार्यक्रम का ब्यौरा (शिक्षण, अनुसंधान तथा विस्तार गतिविधियां) :

(क) अन्तराविश्वविद्यालय तथा अन्तर्विश्वविद्यालय

(ख) राष्ट्रीय संगठन

(ग) गैर–सरकारी संगठन

(घ) अन्तर्राष्ट्रीय संगठन

(ड.) अन्य संस्थाएं

12. गत 5 वर्षों के दौरान आयोजित की गयी संगोष्ठियां, सम्मेलन आदिः

	आयोजित की गयी संगोष्ठियों, सम्मेलनों आदि की संख्या			
	राष्ट्रीय		अन्तर्राष्ट्रीय	
	आयोजित	भाग लिया/शामिल हुए	आयोजित	आयोजित/भाग लिया
सम्मेलन				
संगोष्ठी				
कार्यशाला				

ग्रीष्मकालीन संस्थान				
पुनश्चर्या पाठ्यक्रम				

13. गत् 5 वर्षों के दौरान संगोष्ठियों/सम्मेलनों की संख्या जिनमें संकाय ने भाग लिया।

14. गत् 5 वर्षों के दौरान विभाग द्वारा अन्य स्रोतों से प्राप्त/सृजित की गयी कोई वित्तीय सहायता

वर्ष	**वित्त पोषण करने वाली एजेंसी का नाम (भारतीय/अन्तर्राष्ट्रीय)**	**भवन**	**उपस्कर**	**आकस्मिकता**	**स्टॉफ**	**कुल**
वर्ष I						
वर्ष II						
वर्ष III						
वर्ष IV						
वर्ष V						

15. (क). क्या कोई विभागीय पुस्तकालय है? हाँ/नहीं

(ख). यदि हां, तो पुस्तकों की कुल संख्या

(ग). क्रय किए गए वार्षिक जर्नलों (भारतीय/विदेशी)
की कुल संख्या

16. (क). विभाग पिछली बार विभिन्न पाठ्यक्रमों का पुनर्गठन/संशोधन कब किया गया था–

पाठ्यक्रम	संशोधन का वर्ष
पूर्वस्नातक	
स्नातकोत्तर	
एम.फिल.	

(ख). विभाग में पाठ्यक्रमों के लिए यू.जी.सी. द्वारा पाठ्यचर्या रिपोर्ट प्रकाशित की गयी।

(ग). शिक्षण तथा अनुसंधान में सुधार करने के लिए गत् 5 वर्षों के दौरान विभागीय या व्यक्तिगत स्तर पर अन्य और क्या पहल की गयी? कृपया संक्षिप्त टिप्पणी लिखें।

17. यदि विभाग को 'सेप' के अधीन चुन लिया जाता है तो क्या विश्वविद्यालय विभाग को अकादमिक तथा वित्तीय स्वायत्तता प्रदान करेगा?

18. मुख्य प्रणोद क्षेत्रों में किये जाने वाले प्रस्तावित कार्य की वर्षवार योजना का ब्यौरा।

19. अत्यावश्यक एवं महत्वपूर्ण वित्तीय जरूरतें और सुविधाएं जो सफल कार्यान्वयन तथा निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अपेक्षित होंगी। (यह एसएपी दिशा–निर्देशों तथा ग्राह्य मदों की सूची (संलग्नक–I का परिशिष्ट) के अनुसार वित्तीय सीमा के अंतर्गत होना चाहिए। अनुमानित लागत सहित उपस्कर की 11वीं योजना प्राथमिकतावार सूची भी संलग्न की जानी चाहिए)

20. परीक्षा में अपनाई जा रही वार्षिक/सेमेस्टर प्रणाली। क्या परीक्षा में क्रेडिट प्रणाली का पालन किया जा रहा है या नहीं।

21. मुख्य चालू क्षेत्र जहां उद्योगों के साथ सम्पर्क स्थापित कर दिया गया है।

22. अनुसंधान तथा विभाग द्वारा विकसित की गयी प्रौद्योगिकी तथा उत्पाद जिसका प्रयोग पेटेन्टों के रूप में प्रयोक्ता विभागों/संगठनों/उद्योगों में किया गया है, वाणिज्यिक अनुप्रयोग, उपस्कर/सुविधाओं का निर्माण शिक्षण में ज्ञान प्रसार/विकास के लिए प्रयोग।

23. अनुसंधान के लिए अवसंरचनात्मक सुविधाओं की उपलब्धता:

(i) भौतिक

(ii) अकादमिक तथा अनुसंधान

24. विभाग तथा यूएसआईसी में उपलब्ध तथा प्रयोग में आने वाला मुख्य उपस्कर (जिसकी रुपये 2,50,000/– से अधिक हो), वास्तविक लागत तथा प्रत्येक मद का स्रोत, क्रय वर्ष । क्या इसका प्रचालन किया जा रहा है?

कार्यक्रम के अध्यक्ष/
प्रस्तावित समन्वयक द्वारा
किये गये आवेदन, तिथि सहित
हस्ताक्षर और मुहर

संस्था/विश्वविद्यालय के प्रमुख
कुलपति/कुलसचिव के हस्ताक्षर
और मुहर

<u>कृपया ध्यान दें</u>: उपर्युक्त को छोड़कर अन्य फार्मेट में तैयार किये गये तथा उपर्युक्त प्राधिकारियों के हस्ताक्षर के बिना प्रस्ताव पर विचार किया जा सकता है। स्वच्छ रूप से टंकित एवं मुद्रित तथा जिल्द चढ़े प्रस्ताव की दो प्रतियां संयुक्त सचिव (सेप प्रभाग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली–110002 को भेजी जा सकती है।

अनुलग्नक–I का परिशिष्ट

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

वे मदें जिनके लिए विशेष सहायता कार्यक्रम (सेप) के अधीन वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जायेगी

मद

अनावर्ती

1. उपस्कर (जिनमें कम्प्यूटर हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर भी शामिल है।)
2. नये उपस्कर की स्थापना और चालू करने के लिए वर्तमान प्रयोगशाला के लिए कमरा तैयार करना/उन्नयन/अभिवर्धन/विस्तार (इसकी अधिकतम राशि रुपये 20.00 लाख तक होगी)। इसमें वातानुकूलन भी शामिल है।

आवर्ती

1. आकस्मिकता/कार्यचालन व्यय
2. रसायन/उपभोज्य वस्तुएं/ग्लासवेयर
3. यात्रा/क्षेत्र सुविधाएं/क्षेत्र भ्रमण (सभी केवल भारत में)
4. अभ्यागत अध्येता
5. प्रणोद क्षेत्रों पर संगोष्ठियां (तीन वर्षों के दौरान पांच तक सीमित)
6. कार्यक्रम के संगत तकनीकी/औद्योगिक/सचिवालयी सहायता की सेवाएं किराये पर लेना (केवल कार्यक्रम की अवधि के लिए)
7. सलाहकार समिति की बैठकें (समिति में यू.जी.सी. के नामितियों के लिए यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता)
8. पुस्तकें और जर्नल
9. सी.ए.एस./डी.एस.ए./डी.आर.एस. के स्टॉफ

   डी.आर.एस. – 1 लेक्चरार 2 परियोजना अध्येता

डी.एस.ए.	–	1 रीडर	1 अनुसंधान एसोशियट और 1 परियोजन अध्येता
सी.ए.एस.	–	1 प्रोफेसर	2 अनुसंधान एसोसिशयट और 2 परियोजना अध्येता

(अनुमोदित अनुसंधान स्टॉफ के लिए यू.जी.सी. की सहायता, यदि हो, केवल कार्यक्रम अवधि के लिए प्रदान की जायेगी)

अनुसंधान का वेतन तथा अन्य भत्ते यू.जी.सी. के दिशा–निर्देशों के अनुसार होंगे।

परियोजना अध्येता – 8000 रुपये प्रतिमाह

अनुसंधान एसोसियेट – 14000 रुपये प्रतिमाह + आवास किराया भत्ता

यदि योग्य अनुसंधान एसोशियेट उपलब्ध नहीं हैं तो परियोजना अध्येताओं की नियुक्ति की जा सकती है।

अनुलग्नक–II

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

विदेशी मुद्रा विनियम दर में वृद्धि होने के कारण अनुमोदित उपस्करों को खरीदने के लिए अतिरिक्त अनुदान मांगने के लिए प्रोफार्मा

('सेप' कार्यक्रम के अधीन)

उपकरण का नाम और मॉडल, यदि हो	यथा अनुमोदित उपकरण की क्र.सं.	'सेप' के अधीन अनुमोदित राशि	विर्निमाता/आपूर्तिकर्ता का नाम (भारतीय/विदेशी)	दिये गये आर्डर की तारीख और राशि (रुपये और विदेशी मुद्रा में तथा विनिमय दर) *	खोले गये एल.सी. की तारीख सहित राशि (रुपये और विदेशी मुद्रा में तथा विनिमय दर) *	तारीख सहित अन्तिम बैंक नामे (डेविट) और बैंक दस्तावेज तथा विनिमय दर) *	अनुमानित लागत वृद्धि (कॉलम 7–6 का अंतर)	अभियुक्तियां
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.

* 5, 6, 7 के लिए बैंक दस्तावेजों की अनुप्रमाणित प्रतियां अर्थात् क्रयादेश देने, एल/सी खोलने तथा अन्तिम बैंक नामे (डेबिट) हेतु।

अनुलग्नक–III

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

विशेष सहायता कार्यक्रम (सेप)–डी.आर.एस.

नये प्रस्तावों की छानबीन करने तथा उनकी संक्षिप्त सूची बनाने के लिए विषय समिति की बैठक

बैठक की तारीख ..... प्रस्ताव का विषय .....

मूल्यांकन सूचना पृष्ठ

1.	विभाग/विश्वविद्यालय का नाम	:
2.	प्रस्ताव पर किसके अधीन विचार किया जायेगा	: **सेप (डी.आर.एस.)**
3.	क्या विभाग प्रस्ताव में उल्लिखित प्रणोद क्षेत्रों में वर्तमान अकादमिक उपलब्धियों/प्रगति की दृष्टि से फिलहाल सक्षम हैं और उसमें 'सेप' कार्यक्रम के अधीन शामिल किये जाने के लिए आयोग द्वारा आगे और विचार किये जाने के लिए वांछनीय अकादमिक स्टॉफ (1 प्रोफेसर, 2 रीडर तथा 3 लेक्चरार) हैं।	: **हां/नहीं**
4.	प्रणोद क्षेत्र जिस/जिन पर विभाग को जोर देना चाहिए, यदि उसका/उनका चयन	

शामिल किये जाने के लिए
कर लिया गया हो।

5. प्राथमिकता के क्रम में विशिष्ट टिप्पणियां/सिफारिशें : प्राथमिकता सं.....

6. किन विशेष कारणों (संक्षेप में) से विभाग फिलहाल जीवनक्षम नहीं हैं?

<u>विशेषज्ञों के हस्ताक्षर</u>

1.

2.

3.

यू.जी.सी. के पदधारी के हस्ताक्षर

अनुलग्नक–IV

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

..... में दिनांक ..... को निरीक्षित (डी.आर.एस/ डी.एस.ए. चरण सहित) के स्तर पर ..... विश्वविद्यालय के ..... विभाग के लिए विशेषज्ञ/प्रवेशन समिति की रिपोर्ट

मूल्यांकन तथा निर्धारण/प्रवेशन समिति की सिफारिशें

विभाग और विश्वविद्यालय

विद्यालय का नाम

पिनकोड और फैक्स सहित

निर्धारण की तारीख

स्थान :

प्रवेशन स्थिति

(प्रवेशन और कार्यक्रम का स्तर उपलब्ध कराएं)

विशेषज्ञ सदस्य और वि0अ0आ0 के वर्तमान अधिकारी

नाम	पता	टेली0/फैक्स

1. समिति द्वारा अभिज्ञात तथा संस्तुत व्यापक प्रणोद क्षेत्र

   (i)

   (ii)

(iii)

2. विशेषज्ञ समिति द्वारा अभिज्ञात तथा संस्तुत समन्वयक और उप–समन्वयक

नाम :

पदनाम :

टेलीफोन नं./फैक्स/ई–मेल :

विशेषज्ञता क्षेत्र

समन्वयक की हैसियत

(वरिष्ठतम हैं या नहीं)

3. विभाग की अवस्थिति :

(क) स्थापना का वर्ष :

(ख) संकाय की वर्तमान संख्या :

(कार्यकारी)

प्रोफेसर..... रीडर .....

लेक्चरार.....

(ग) विभाग के सभी चालू पाठ्यक्रमों के नाम तथा प्रत्येक पाठ्यक्रम में भर्ती छात्रों की संख्या :

4. समिति द्वारा संस्तुत सलाहकार समिति के सदस्य (प्रवेशन समिति के सदस्यों को छोड़कर अन्य)

नाम	**विशेषज्ञता**	**पता/फैक्स/ टेली.नं./ई–मेल**
(i)		
(II)		

5. मुख्य प्रेक्षण तथा उपलब्धियां (कार्यक्रम में प्रवेशन से पहले):

(क) (i) मुख्य कार्यकारी ग्रुप तथा प्रणोद क्षेत्रः

(ii) प्रत्येक कार्यकारी ग्रुप से सम्बद्ध संकाय सदस्य :

(ख) अभिज्ञात प्रणोद क्षेत्र में उत्कृष्टता:

(ग) अन्य प्रणोद/उच्च प्रौद्योगिकीय आविर्भाव होने वाले क्षेत्र का परिपोषण :

(घ) औद्योगिक रूप से/वाणिज्यिक रूप से विकसित तथा प्रयुक्त प्रौद्योगिकी/विधि:

(ड) छात्र संख्या सहित प्रारम्भ एवं कार्यान्वित किये गये पाठ्यक्रम संबद्ध संकाय सदस्य, छात्रों की प्रायोजक एजेंसी, यदि हो, सम्भावित नियोक्ता तथा प्रयोक्ता विभाग/संगठन/एजेंसी :

(च) नये विचार जिनसे शिक्षण का अनुसंधान प्रभावित हुआ है :

(छ) विकसित अवसंरचना:मुख्य उपस्कर/सुविधाएं (सूची संलग्न करें) :

(ज) औद्योगिक सहयोग तथा ऐसे सहयोग से सृजित संसाधनों की राशि

(झ) पेटेन्ट/आदि प्ररूप (i) आवेदित (ii) क्रेडिट में (iii) लाइसेंसधारियों को प्रदत्त

(ण) अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग (उद्योग, संस्थाओं, प्रशिक्षित श्रमशक्ति सहित) :

(ट) अन्य प्रयोक्ता विभाग/एजेंसियों/अन्य संगठनों/गैर–सरकारी संगठनों द्वारा अनुसंधान सुविधाओं का उपयोग :

ठ. छात्रों का संकाय सदस्यों की औद्योगिक/वाणिज्यिक संलग्नता :

6. प्रशासनिक/वित्तीय तथा अकादमिक पहलुओं पर विभाग की स्थिति :

क्या विश्वविद्यालय विभाग को अकादमिक, वित्तीय तथा प्रशासनिक कार्य के संबंध में स्वायत्ता प्रदान करेगा, यदि यू.जी.सी. 'सेप' के अधीन सहायता का अनुमोदन करता है।

7. क्या परीक्षा सुधार तथा पाठ्यक्रमों का पुनर्गठन उचित समय पर किया गया है या नहीं। पिछली बार किये गये पुनर्गठन/सुधार वर्ष का उल्लेख करते हुए ब्यौरा दें।

8. क्या समिति यू.जी.सी. के सर्वोच्च प्राधिकारी की सूचना के लिए सभी एजेंसियों के विभाग के कार्यकरण के संबंध में कोई विशेष टिप्पणी देना चाहती है जिसे, यदि आवश्यक समझा गया तो, गोपनीय रखा जा सकता है।

9. इस प्रथम चरण के तहत प्रस्ताव के अनुसार निर्धारित उद्देश्यों सहित विभाग की भावी कार्ययोजना, यदि यू.जी.सी. सहायता प्रदान करने के लिए सहमत हो (अनलग्नक के रूप में अलग से संलग्न करें) :

10. क्या समिति विभाग की प्रगति और वर्तमान गतिविधियों से संतुष्ट हैं जिन पर विभाग के प्रवेशन तथा सहायता के लिए विचार किया जा सकता है :

11. समिति पुरजोर सिफारिश करती है कि :

(i) डी.एस.ए./डी.आर.एस. की स्थिति में विभाग का प्रवेशन किया जाये।

(ii) यदि सिफारिश नहीं की जाती है, तो उसका कारण दें :

12. समिति के अन्य विशेष टिप्पणी/अभ्युक्तियां, यदि कोई हो तो :

13. वित्तीय सिफारिश **अनुलग्नक –IV के परिशिष्ट** में दी गयी अनुमोदित सीमा के अंतर्गत अत्यावश्यक निधियां, ग्राह्य मदें।

विशेषज्ञ सदस्यों और यू.जी.सी. के पदधारी के हस्ताक्षर, तारीख और स्थान :

नाम	पता और टेली./फैक्स नं.	हस्ताक्षर
1.		
2.		
3.		
4.		

अनुलग्नक–IV का परिशिष्ट

वित्तीय सिफारिशें

समिति द्वारा संस्तुत वित्तीय आगतों को नीचे दिया गया है :

	अनावर्ती	रुपये (लाख में)
I	उपस्कर	
II	वातानुकूलन सहित भवन (मौजूदा प्रयोगशाला को नया उपस्कर लगाने एवं उसकी संस्थापना हेतु उन्नयन/संवर्धन, विस्तार) (अधिकतम सीमा 20 लाख रुपये तक)	
III	रेपरोग्रफिक्स सुविधाएं	

	आवर्ती	रुपये (लाख में)
I	आकस्मिकता/कार्यचालन व्यय रुपये .....प्रतिवर्ष की दर से	
II	रसायन/उपभोज्य/कांच के बर्तन रुपये .....प्रतिवर्ष की दर से	
III	केवल संकाय के सदस्यों के लिए यात्राएं/क्षेत्र सुविधाएं/क्षेत्र भ्रमण (सभी केवल भारत में) रुपये .....प्रतिवर्ष की दर से	
IV	अभ्यागत अध्येता	

रुपये .....प्रतिवर्ष की दर से

V प्रणोद क्षेत्रों पर संगोष्ठियां (संगठनों के लिए) रुपये .....प्रतिवर्ष की दर से

VI कार्यक्रम के लिए यथासंगत तकनीकी/औद्योगिक/सचिवालयी सहायता की सेवाएं किराये पर लेना (केवल कार्यक्रम की अवधि के लिए) रुपये ..... प्रतिवर्ष की दर से

VII परामर्शदात्री समिति की बैठकें (समिति में वि0अ0आ0 नामितियों के लिए यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता) रुपये ..... प्रतिवर्ष की दर से

VIII पुस्तकें व जर्नल रुपये ..... प्रतिवर्ष की दर से

<u>विशेषज्ञों के हस्ताक्षर</u>

अनुलग्नक–V

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

व्यय की प्रगति रिपोर्ट

विश्वविद्यालय .....

मंजूरी पत्र की संख्या और तारीख .....

..... के दौरान वास्तविक व्यय

का विवरण ..... के लिए अनुमानित व्यय

व्यय की मद	कुल अनुमोदित अनुदान	प्राप्त किया गया वास्तवितक अनुदान	किया गया वास्तविक व्यय (वास्तव में अदा किये गये बिल)	अतिरिक्त बचत (कालम 3 और 4 का अंतर)	.....के दौरान अनुमानित व्यय	अभ्युक्तियां

अनावर्ती मदें :

(यू.जी.सी. द्वारा यथा अनुमोदित)

जोड़ **अनावर्ती**

व्यय की मद	वास्तविक अधिकतम सीमा	प्राप्त अनुदान	वास्तविक व्यय	अतिरिक्त बचत (कालम 3 और 4 का अंतर)	.....के दौरान अनुमानित व्यय	अभ्युक्तियां

आवर्ती मदें :

(यू.जी.सी. द्वारा यथा अनुमोदित)

जोड़ **आवर्ती**

कुल जोड़ (आवर्ती+अनावर्ती)

प्रमाणपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि अनुदान का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया गया है जिसके लिए उसे मंजूर किया गया था तथा अनुदान से संबंधित शर्तों के अनुसार किया गया है।

यदि जांच या लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप बाद में कोई अनियमितता पाई जाती हैं तो आपत्तिगत राशि वापस, समायोजित या विनियमित करने की कार्रवाई की जायेगी।

हस्ताक्षर
कार्यक्रम समन्वयक

हस्ताक्षर
कुल–सचिव
मुहर सहित

टिप्पणी: इसमें दिये गये या दिये जाने वाले आर्डरों से संबंधित राशि, की गयी वचनबद्धताएं या प्राप्त की जाने वाली विशिष्ट मदों के लिए राशि शामिल नहीं होगी।

अनुलग्नक–VI

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

उपयोग प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अपने पत्र सं. ..... दिनांक ..... के अनुसार ..... योजना के अधीन ..... को मंजूर किये गये रुपये ..... (रुपये .....मात्र) के कुल अनुदान से रुपये ..... (रुपये ..... मात्र) की राशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया गया है जिसके लिए उसे मंजूर किया गया था तथा आयोग द्वारा निहित निबन्धनों और शर्तों के अनुसार किया गया है।

यदि जांच या लेखापरीक्षा आपत्ति के परिणामस्वरूप बाद में कुछ अनियमितताएं पाई जाती हैं तो आपत्तिगत राशि को वापस, समायोजित या विनियमित करने की कार्रवाई की जायेगी।

हस्ताक्षर
कुल–सचिव, मुहर सहित

हस्ताक्षर
वित्त अधिकारी, मुहर सहित

हस्ताक्षर
'सेप' समन्वयक

हस्ताक्षर
सनदी लेखाकार
(मुहर और पंजीकरण सं.)
(सांविधिक लेखापरीक्षकों की लेखा परीक्षा से पूर्व)

टिप्पणी : विश्वविद्यालय के लेखा परीक्षा किये जाने के तुरन्त बाद विश्वविद्यालय सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा विधिवत् परीक्षित लेखा का लेखापरीक्षित विवरण प्रस्तुत करेगा।

अनुलग्नक–VII

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

नई दिल्ली

'सेप (सी.ए.एस./डी.एस.ए./डी.आर.एस.) के अधीन

मध्यावधि सत्र की प्रगति रिपोर्ट के लिए फार्मेट

विश्वविद्यालय का नाम :	प्रारम्भ में स्तर सहित प्रथम
विभाग का नाम :	अनुमोदन की तिथिः
	यू.जी.सी. द्वारा नोट किये गये
	वर्तमान चरण के कार्यान्वयन की
	तिथि
अवस्थिति (सी.ए.एस./	रिपोर्ट की अवधि : .....से.....तक
डी.एस.ए./डी.आर.एस./	अनावर्ती आवर्ती जोड़
चरण सहित):	
समन्वयक का नाम :	5 वर्ष के लिए आवंटित राशि वर्ष :
उप–समन्वयक का नाम :	वर्ष के दौरान मंजूर की गयी राशि :
पता :	वर्ष के दौरान उपयोग की गयी राशि :
शहर :	प्रथम मंजूरी की तारीख :
पिन कोड : राज्य	(वर्तमान चरण)
टेली. फैक्स	प्रारम्भ से प्राप्त कुल अनुदान

1. (क) प्रणोद क्षेत्र

———————————————————————————————————

प्रारम्भ से अभिज्ञात चालू आशोधन,यदि कोई किया गया हो तो, कब किया गया तथा वि0अ0आ0 के अनुमोदन की संदर्भ संख्या एवं तिथि

प्रस्तावित भावी प्रणोद क्षेत्र

1. (ख). यू.जी.सी. के नामिती, पता, पिन, राज्य, दूरभाष, ई–मेल सहित (यू.जी.सी. द्वारा यथा अनुमोदित)

   (1).

   (2).

2. मुख्य उपलब्धियां (मध्यावधि/अन्तिम सत्र समीक्षा के आधार पर आधारित गत दो/पांच वर्ष); जैसा भी मामला हो :

   (i) **शिक्षण** :

   क. शुरू किये गये नए पाठ्यक्रम :

   ख. पिछली बार संशोधित की गयी पाठ्यचर्या तथा महत्वपूर्ण परिवर्तनः

   ग. विशेष लक्षणों सहित पिछली बार किये गये परीक्षा सुधार :

   घ. शिक्षण प्रयोगशाला/उपस्कर/सृजित की गयी नई सुविधाएं :

   (ii) **अनुसंधान** :

   क. अनुसंधान (निर्धारित किए गए मुख्य उद्देश्य (यथा–प्रस्तावित) तथा प्रगति सहित उपलब्धियां, किया गया नवाचार, अन्तरित प्रौद्योगिकी, अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग जिससे संसाधन उत्पन्न हुए हों, को उजागर करें)

   ख. यदि निर्धारित उद्देश्य प्राप्त नहीं किये जा सकते हों, तो उसके विशेष कारण दें।

   ग. नीति निर्माण में निष्कर्षों का उपयोग, रणनीतियों का विकास तथा आशोधन (मुख्यतः सामाजिक विज्ञान विभागों के लिए)

(iii) **<u>मानव संसाधन प्रशिक्षणः</u>**

क. प्रशिक्षित व्यक्ति (संख्या) : पूर्वस्नातक स्नातकोत्तर

ख. ग्रामीण/जनजातीय

ग. औद्योगिक

घ. अन्तर्राष्ट्रीय

ड. अन्य एजेंसियों से

3. **विकसित आधार–संरचना**

क. मुख्य उपस्करों का नाम (3 लाख रुपये से कम)

ख. स्नातकोत्तर, अनुसंधान और विस्तार गतिविधियों के लिए केन्द्रीय योजनाएं/सुविधाएं (कृपया उस मद पर निशान (√) लगाएं जो आपके विभाग पर लागू हो : (i) एस.टी.ई.पी. (ii) आई.आई.पी.सी. (iii) यूसिक/आर.एस.आई.सी. (iv) पेटेन्ट संवर्धन प्रकोष्ठ (v) अतिथिगृह और उसकी क्षमता (vi) संगोष्ठी/सम्मेलन कक्ष और उसकी क्षमता (vii) क्षेत्रीय आधारभूत कम्प्यूटिंग सुविधाएं (viii) केन्द्रीय पुस्तकालय और प्रलेखन सुविधाएं (ix) अनुवर्ती शिक्षा केन्द्र (x) महिला विकास प्रकोष्ठ

ग. नेटवर्किंग (कृपया सही मद पर निशान (√) लगाएं), (i) पुस्तकालय (ii) प्रयोगशाला (iii) प्रयोगशाला (iii) विश्वविद्यालय विभाग।

4. प्रसारित किया गया ज्ञान (अभिज्ञात प्रणोद क्षेत्र में) :

(i) अन्य शिक्षण संस्थाएं (नाम तथा संबंधित संकाय की संख्या)

(ii) उद्योग (नाम और राशि, यदि प्राप्त की हो)

(iii) ग्रामीण/जनजातीय/सरकारी/गैर–सरकारी संगठन (राशि सहित नाम दें)

(iv) अन्तर्राष्ट्रीय (संगठन का नाम)

(v) अन्य

(vi) लाया गया नवाचार/उत्कृष्टता (कृपया केवल अभिज्ञात क्षेत्रों में निर्दिष्ट करें)

5. प्रगति (पहले से स्वीकृत)

6. उदीयमान/उच्च प्रौद्योगिकी/सृजित प्राथमिकता क्षेत्र

7. संसाधन सृजन (राशि दर्शाये, रुपये लाख में बताएं) :

मदें	राशि	मदें	राशि
परामर्श	:	प्रायोजित (एजेंसी) अनुसंधान तथा विकास परियोजनाएं	:
प्रौद्योगिकी	:	उत्पाद तथा आदि प्ररूप विकास	:
पेटेन्ट उद्योग	:	प्रयोगकर्त्ता विभागों द्वारा आंतरिक सुविधाओं का दोहन	:
औद्योगिक सहयोग	:		
मानव संसाधन प्रशिक्षण	:	क. पड़ोसी संस्थान	

क.	अन्तर्राष्ट्रीय छात्र	:	ख.	उद्योग
ख.	औद्योगिक	:	ग.	राष्ट्रीय संगठन
ग.	विस्तार गतिविधियां	:	घ.	अन्तर्राष्ट्रीय संगठन
घ.	अन्य पाठ्यक्रम	:	ड.	अन्य सहयोग–कार्यक्रम

क. उपर्युक्त सभी स्रोतों से सृजित कुल राशि

ख. विभाग के अन्य क्षेत्रों में विश्वविद्यालय से प्राप्त विकास अनुदान का भी उल्लेख कीजिये।

8. निम्नलिखित में अनुसंधान, शिक्षण के निष्कर्ष का उपयोग (सही मद पर निशान लगायें और उसको भरें)

मद	सं.	मद	सं.
क. उद्योग		ख. अन्य उपयोग– कर्त्ता विभाग	
ग. राष्ट्रीय संगठन		घ. अन्य संगठन	

9. अन्य गतिविधियांः

क. मदें	संख्या	समयावधि
संगोष्ठी		
ग्रीष्मकालिक संस्थान		
सम्मेलन		
पुनश्चर्या पाठ्यक्रम		

ख. स्वायत्त स्वरूप : हां/नहीं

(क). वित्तीय

(ख). प्रशासनिक

(ग). अकादमिक

(घ). अन्य

ग. सलाहकार समिति की बैठक (दिनांक सहित संख्या)

मुख्य सिफारिशें

1.

2.

3.

10. इसमें शामिल संकाय

क.

सृजित संकाय संख्या   उपलब्ध पद   कार्यकारी   रिक्त
सेप/असिष्ट के अधीन प्रणोद क्षेत्र के लिए (1) अन्य क्षेत्रों के लिए (2) (1) (2) (1) (2)
(संख्या लिखें)

प्रोफेसर :

रीडर :

लेक्चरार :

अन्य :

ख. अभिज्ञात प्रणोद क्षेत्र (क्षेत्रों) में:

संकाय	नाम	सदस्यता (इन्सा/भटनागर/बिरला)	विशेषता/विशेषज्ञ के विशिष्ट क्षेत्र

प्रोफेसर

1.

2.

3.

4.

रीडर

1.

2.

3.

लेक्चरार

1.

2.

3.

ई.एम./अर्थात् प्रोफेसर

- संदर्भित जर्नलों में कराये गये प्रकाशनों की एक सूची उपलब्ध करायें (समूह क्षेत्रवार, संकाय सदस्यवार, वर्षवार)

- ग. प्रवेश (कृपया संख्या दें) अभिज्ञात प्रणोद क्षेत्र प्रणोद क्षेत्र को छोड़कर

पी.एच.डी. :

स्नातकोत्तर :

अध्येता :

नेट स्कालर :

गेट स्कालर :

अनुसंधान एसोशिएट

परियोजना सहायक :

अन्य :

---

11. विभाग का राष्ट्रीय/नोडल स्वरूप : राष्ट्रीय/नोडल/अखिल भारतीय केन्द्र

क. आमंत्रित किये गये विद्वान व्यक्ति (सं.)

ख.

अन्तर्राष्ट्रीय	राष्ट्रीय
(I) विश्वविद्यालय/कॉलेज शिक्षकों को व्यावहारिक या तकनीकी प्रशिक्षण	(ii) सहयोगी (अन्तर्राष्ट्रीय)
(iii) पड़ोसी संस्थाओं को शिक्षण	(iv) विदेशी विश्वविद्यालय के अभ्यागत शिक्षक
(v) उपस्कर सुविधाएं	(vi) अन्य मुख्य आधारभूत अव संरचनात्मक सुविधाएं

12. यदि यू.जी.सी विशेषज्ञ समिति द्वारा किये गये मूल्यांकन तथा अन्तिम समीक्षा के आधार पर सहायता जारी रखने और उसको बढ़ाने के लिए सहमत हों तो अत्यधिक महत्वपूर्ण एवं जरूरी अपेक्षाएं जो कार्यक्रमों को जारी रखने के लिए आवश्यक हो सकती है :–

अनावर्ती : आवर्ती : जोड़ (रुपये लाख में) :
दिशा–निर्देशों में दी गयी मदों के अनुसार
(कृपया संलग्नक जोड़ें)

13. क. क्या राज्य सरकार कार्यक्रम की अवधि के समाप्त होने के पश्चात् अर्थात् पांच वर्ष बाद सेप के तहत अनुमोदित संकाय में संकायों और स्टॉफ का दायित्व लेगी।

ख. क्या राज्य सरकार जैसा कि अनुमोदन पत्र के साथ सूचित किया गया था, कार्यक्रम की अवधि पूरी होने के पांच वर्ष बाद दायित्व लेने को सहमत हो गयी है या दायित्व ले लिया है?

ग. यदि यू.जी.सी. कार्यक्रम को जारी रखने के लिए सहमत नहीं होता है तो विभाग अवसंरचना और स्थिति को कैसे बनाएं रखेगा? क्या विभाग/ विश्वविद्यालय गैर–लागत आधार पर दर्जा बढ़ाने के लिए सहमत होगा, बशर्ते कि समिति की सिफारिश के अनुसार ऐसा होता है।

14. यू.जी.सी. के फार्मेट के अनुसार उपयुक्त प्रमाणपत्र उपलब्ध कराया जा सकता है। विभाग को चालू तथा वर्तमान चरण के लिए प्रदत्त सभी नियतनों और मंजूरियों के लिए समझ प्राधिकारी (रजिस्ट्रार और वित्त अधिकारी दोनों) (मदवार तथा वर्षवार) द्वारा पिछले चरण का लेखा पूरा किया जायेगा, उसको अन्तिम रूप दिया जायेगा, परीक्षित तथा अधिप्रमाणित किया जायेगा और उसे विभाग द्वारा प्रस्तुत किया जायेगा ताकि यू.जी.सी. यदि पुनः सहायता उपलब्ध कराता है तो उपर्युक्त गतिविधियों के अनुसार अनुमोदित चरण के लिए निधियां तत्काल जारी कर सकता है।

———————————————————————————————————

हस्ताक्षर : **हस्ताक्षर :**

कार्यक्रम समन्वयक **विश्वविद्यालय का कुल–सचिव**

अनुलग्नक–VIII

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
नई दिल्ली

.....विश्वविद्यालय के ..... विभाग के लिए विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट विश्वविद्यालय में ..... में दिनांक .....200..... को निरीक्षत 'सेप' सी.ए.एस./डी.एस.ए./डी.आर. एस. तथा 'असिस्ट' के लिए I/II/ III/ चरण की मध्यावधि समीक्षा।

मध्यावधि सत्र समीक्षा और निर्धारण
समिति की सिफारिशें

विभाग और विश्वविद्यालय : का नाम पिनकोड तथा फैक्स

समीक्षित विभाग का स्तर : (सी.ए.एस./डी.एस.ए./ डी.आर.एस.) :

समीक्षा की तिथि :

स्थान :

समीक्षा की स्थिति :

(मध्यावधि)

चरण :

अवधि : .....से.....तक

<u>विशेषज्ञ सदस्य तथा वि0अ0आ0 अधिकारी</u> :

———————————————————————————————————

नाम	पता	टेली./फैक्स नं.

———————————————————————————————————

1.

2.

3.

4.

5.

6.

———————————————————————————————————

1. <u>समिति द्वारा अभिज्ञात तथा संस्तुत प्रणोद क्षेत्र – (मौजूदा कार्यक्रम)</u>

2. क). विशेषज्ञ समिति द्वारा चिन्हित **समन्वयक** :– (मौजूदा कार्यक्रम)

नाम	:
पदनाम	:
टेलीफोन नं./फैक्स/ई–मेल	:
विशेषज्ञता का क्षेत्र	:
समन्वयक की स्थिति (वरिष्ठतम है या नहीं)	:
क्या यह वही समन्वयक है जो पिछले/चालू चरण या स्तर पर था?	

ख). विशेषज्ञ समिति द्वारा चिन्हित **उपसमन्वयक**

नाम :

पदनाम :

टेलीफोन नं./फैक्स/ई–मेल :

विशेषज्ञता का क्षेत्र :

समन्वयक की स्थिति

(वरिष्ठतम है या नहीं) :

क्या यह वही समन्वयक है जो

पिछले/चालू चरण या स्तर

में था?

3. **समिति द्वारा संस्तुत परामर्शदात्री समिति के सदस्यः**

नाम	विशेषज्ञता	पता/फैक्स/दूरभाष/ई–मेल
1.		
2.		

4. चरण के लिए निर्धारित किए गए मुख्य उद्देश्यों की अब समीक्षा की जा रही हैः (मौजूदा कार्यक्रम)

5. प्राप्त किया गया उद्देश्य :

क. प्रगति, यदि हो तो :

ख. अभिज्ञात प्रणोद क्षेत्र
में प्राप्त की गयी उत्कृष्टाः

ग. अन्य संवर्धित प्रणोद/उच्च
प्रौद्योगिकी/उदीयमान क्षेत्र
जिनका विकास किया गयाः

घ. औद्योगिक रूप से/वाणिज्यिक
रूप से विकसित प्रौद्योगिकी/विधि/पेटेन्टः

ड. दाखिल छात्रों की संख्या, संबद्ध संकाय संख्या, छात्रों की प्रायोजक एजेंसी, यदि हो, संभावित नियोजक तथा प्रयोक्ता विभाग/संगठन/एजेंसी सहित शुरू एवं कार्यान्वित किये गये नये पाठ्यक्रमः

च. प्रकाशनों की स्थितिः

छ. विभाग की अनुसंधान विशेषताओं के संबंध में संक्षिप्त विवरणः

6. निम्नलिखित मानदण्डों पर कार्यक्रम का प्रभाव :

(i) विकसित अवसंरचना :

(ii) सृजित किये गये मुख्य उपस्कर/सुविधाएं (सूची उपलब्ध कराएं) :

(iii) औद्योगिक सहयोग तथा सृजित संसाधन की राशि

(iv) अभिज्ञात प्रणोद क्षेत्रों तथा उन क्षेत्रों में जहां इस कार्यक्रम के अधीन सुविधाओं का प्रयोग किया गया था या संदर्भित जर्नलों में अनुसंधान प्रकाशन

(v) प्रशिक्षित जनशक्ति (गत पांच वर्षों के दौरान) :

(vi) सृजित संसाधनों की कुल राशि :

(vii) अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग (उद्योग, संस्थानों, प्रशिक्षित जनशक्ति सहित) :

(viii) उल्लेखनीय नवाचारी विचारों का सृजन :

क. औद्योगिक/वाणिज्यिक संबद्धता

ख. क्या छह सप्ताह के लिए पड़ोसी विश्वविद्यालयों/कॉलेजों से योग्य छात्रों को संबद्ध करने से संबंधित यू.जी.सी. 'सेप' विचारों को कार्यान्वित किया गया है?

7. (क). क्या विभाग एक नोडल केन्द्र के रूप में काम कर रहा है जिसको निम्नलिखित के आधार पर आंका जा सकता है?

(i) राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छात्रों को दाखिला देना :

(ii) राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर सहयोग :

(iii) मानव संसाधन विकास का प्रशिक्षण तथा संकाय की भागीदारी :

8. अकादमिक, वित्तीय तथा प्रशासनिक कार्यकरण के संबंध में विभाग की स्वायत्ता संतोषजनक है या नहीं :

9. क्या परीक्षा सुधारों एवं पाठ्यक्रमों के पुनर्गठन पर समय से उचित ध्यान दिया गया है अथवा नहीं? ब्यौरा दें :

10. परामर्शदात्री समिति का कार्यकरण उचित था या यह निष्क्रिय है; कृपया टिप्पणी करें :

क. सलाहकार समिति की बैठकें कितनी बार हुईं ? :

ख. महत्वपूर्ण संकल्प, जिस पर यू.जी.सी. विचार कर सकता है, यदि कोई हो तो :

11. समिति द्वारा अनुमोदित अनुसंधान कार्य की भावी योजना तथा मौजूदा सेप स्तर पर प्राप्त नहीं किए गए मुख्य उद्देश्य।

12. क्या समिति विभाग से सभी दृष्टिकोणों से विभाग के कार्यकरण के संबंध में वि0अ0आ0 के सर्वोच्च प्राधिकारी की जानकारी के लिए विशेष टिप्पणी करना चाहती है, जिसे आवश्यक समझे जाने पर गोपनीय रखा जा सकता हैः

13. क. निधियों का उपयोग निम्नलिखित उन्हीं प्रयोजनों के लिए किया गया है जिनके लिए उन्हें उपलब्ध कराया गया थाः

(i) मुख्य अवसंरचना तथा उपस्कर का सृजन :

(ii) पूर्वस्नातक/स्नातकोत्तर संस्थागत तथा अकादमिक विकास :

(iii) अनुसंधान सुविधा तथा सहयोग को सुदृढ़ करना :

(iv) भवन के लिए केन्द्रीय सुविधा :

ख. क्या समिति निधियों के उपयोग से संतुष्ट है अथवा नहींः

14. **समिति की अन्य विशेष टिप्पणियों/अभ्युक्तियां, यदि कोई हो तो :**

15. **समिति निम्नलिखित की पुरजोर सिफारिश करती है :**

(यह एक मध्यावधि समीक्षा है)

(i) विभाग की कोई विशेष आवश्यकता

(ii) सेप के अधीन .....के समान स्तर पर गतिविधियां जारी रखना।

16. **<u>निष्पादन को समग्र रूप से ग्रेडबद्ध करना।</u>**

उत्कृष्ट बहुत अच्छा अच्छा संतोषजनक सामान्य

<u>विशेषज्ञ समिति के सदस्य तथा वि0अ0आ0 के अधिकारियों के हस्ताक्षरः–</u>

नाम पता और दूरभाष/फैक्स नं. हस्ताक्षर

1.

2.

3.

4.

5.

अनुलग्नक–IX

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
नई दिल्ली

.....विश्वविद्यालय के ..... विभाग के लिए विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट विश्वविद्यालय में ..... में दिनांक .....200..... को निरीक्षत 'सेप' सी.ए.एस./डी.एस.ए./डी.आर. एस. तथा 'असिस्ट' के लिए I/II/ III/ चरण की अंतिम समीक्षा ।

अंतिम समीक्षा और निर्धारण
समिति की सिफारिशें

विभाग और विश्वविद्यालय का नाम पिनकोड तथा फैक्स :

समीक्षित विभाग का स्तर (सी.ए.एस./डी.एस.ए./डी.आर.एस.) :

समीक्षा की तिथि :

स्थान :

समीक्षा की स्थिति (मध्यावधि) :

चरण :

अवधि : .....से.....तक

विशेषज्ञ सदस्य तथा वि0अ0आ0 अधिकारी :

नाम	पता	टेली./फैक्स नं.
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		

1. **समिति द्वारा अभिज्ञात तथा संस्तुत प्रणोद क्षेत्र – (अधिक संकीर्ण रूप से नहीं)**

3. क). विशेषज्ञ समिति द्वारा चिन्हित और संस्तुत **समन्वयक** :–

पदनाम :

नाम :

पदनाम :

टेलीफोन नं./फैक्स/ई–मेल :

विशेषज्ञता का क्षेत्र :

समन्वयक की स्थिति

(वरिष्ठतम है या नहीं) :

क्या यह वही समन्वयक है जो

पिछले/चालू चरण या स्तर

पर था?

ख). विशेषज्ञ समिति द्वारा चिन्हित और संस्तुत **<u>उपसमन्वयक</u>**

पदनाम :

नाम :

पदनाम :

टेलीफोन नं./फैक्स/ई–मेल :

विशेषज्ञता का क्षेत्र :

समन्वयक की स्थिति

(वरिष्ठतम है या नहीं) :

क्या यह वही समन्वयक है जो

पिछले/चालू चरण या स्तर

में था?

4. **अब समिति द्वारा संस्तुत परामर्शदात्री समिति के सदस्य (समीक्षा समिति के सदस्यों के अलावा)**

नाम	**विशेषज्ञता**	**पता/फैक्स/दूरभाष/ई–मेल**
1.		
2.		

5. चरण के लिए निर्धारित किए गए मुख्य उद्देश्यों की अब समीक्षा की जा रही हैः (मौजूदा सेप कार्यक्रम)

6.. प्राप्त किया गया उद्देश्य :

क. प्रगति, यदि हो तो :

ख. अभिज्ञात प्रणोद क्षेत्र
में प्राप्त की गयी उत्कृष्टाः

ग. अन्य संवर्धित प्रणोद/उच्च
प्रौद्योगिकी/उदीयमान क्षेत्र
जिनका विकास किया गयाः

घ. औद्योगिक रूप से/वाणिज्यिक
रूप से विकसित प्रौद्योगिकी/विधि/पेटेन्टः

ड. दाखिल छात्रों की संख्या, संबद्ध संकाय संख्या, छात्रों की प्रायोजक एजेंसी, यदि हो, संभावित नियोजक तथा प्रयोक्ता विभाग/संगठन/एजेंसी सहित शुरू एवं कार्यान्वित किये गये नये पाठ्यक्रमः

च. प्रकाशनों की स्थितिः

छ. विभाग की अनुसंधान विशेषताओं के संबंध में संक्षिप्त विवरणः

7. निम्नलिखित मानदण्डों पर कार्यक्रम का प्रभाव :

(i) विकसित अवसंरचना :

(ii) सृजित किये गये मुख्य उपस्कर/सुविधाएं (सूची उपलब्ध कराएं) :

(iii) औद्योगिक सहयोग तथा सृजित संसाधन की राशि

(iv) अभिज्ञात प्रणोद क्षेत्रों तथा उन क्षेत्रों में जहां इस कार्यक्रम के अधीन सुविधाओं का प्रयोग किया गया था या संदर्भित जर्नलों में अनुसंधान प्रकाशन

(v) प्रशिक्षित जनशक्ति (गत पांच वर्षों के दौरान) :

(vi) सृजित संसाधनों की कुल राशि :

(vii) अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग (उद्योग, संस्थानों, प्रशिक्षित जनशक्ति सहित) :

(viii) उल्लेखनीय नवाचारी विचारों का सृजन :

क. औद्योगिक/वाणिज्यिक संबद्धता

ख. क्या छह सप्ताह के लिए पड़ोसी विश्वविद्यालयों/कॉलेजों से योग्य छात्रों को संबद्ध करने से संबंधित यू.जी.सी. 'सेप' विचारों को कार्यान्वित किया गया है?

8. (क). क्या विभाग एक नोडल केन्द्र के रूप में काम कर रहा है जिसको निम्नलिखित के आधार पर आंका जा सकता है?

(i) राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छात्रों को दाखिला देना :

(ii) राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर सहयोग :

(iii) मानव संसाधन विकास का प्रशिक्षण तथा संकाय की भागीदारी :

9. अकादमिक, वित्तीय तथा प्रशासनिक कार्यकरण के संबंध में विभाग की स्वायत्ता संतोषजनक है या नहीं :

10. क्या परीक्षा सुधारों एवं पाठ्यक्रमों के पुनर्गठन पर समय से उचित ध्यान दिया गया है अथवा नहीं? ब्यौरा दें :

11. परामर्शदात्री समिति का कार्यकरण उचित था या यह निष्क्रिय है; कृपया टिप्पणी करें :

    क. सलाहकार समिति की बैठकें कितनी बार हुईं ? :

    ख. महत्वपूर्ण संकल्प, जिस पर यू.जी.सी. विचार कर सकता है, यदि कोई हो तो :

12. समिति द्वारा अनुमोदित अनुसंधान कार्य की भावी योजना तथा निर्धारित किए गए मुख्य उद्देश्य।

13. क. क्या समिति विभाग से सभी दृष्टिकोणों से विभाग के कार्यकरण के संबंध में वि0अ0आ0 के सर्वोच्च प्राधिकारी की जानकारी के लिए विशेष टिप्पणी करना चाहती है, जिसे आवश्यक समझे जाने पर गोपनीय रखा जा सकता है:

ख. क्या यह समिति महसूस करती है कि खासतौर पर इस विभाग के लिए जिसकी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनेक वर्षों से सहायता की जा रही है, इस कार्यक्रम के अधीन अभी यह कुछ अवधि के बाद अनुदान देना बंद करना संभव है?

ग. यदि उपरोक्त 12ख के लिए नहीं है तो कृपया आवश्यक समर्थन का औचित्य सिद्ध करें?

13. क. निधियों का उपयोग निम्नलिखित उन्हीं प्रयोजनों के लिए किया गया है जिनके लिए उन्हें उपलब्ध कराया गया थाः

(i) मुख्य अवसंरचना तथा उपस्कर का सृजन :

(ii) पूर्वस्नातक/स्नातकोत्तर संस्थागत तथा अकादमिक विकास :

(iii) अनुसंधान सुविधा तथा सहयोग को सुदृढ़ करना :

(iv) भवन के लिए केन्द्रीय सुविधा :

ख. क्या समिति निधियों के उपयोग से संतुष्ट है अथवा नहींः

14. **समिति की अन्य विशेष टिप्पणियों/अभ्युक्तियां,, यदि कोई हो तो :**

15. **समिति निम्नलिखित की पुरजोर सिफारिश करती है :**

i) विभागीय दर्जे को बढ़ाकर–––से ––––––––––किया जाना।

ii) सेप के चरण–1, चरण–2 चरण–3–डीआरएस/डीएसए/सीएएस के तहत उसी स्तर पर गतिविधियों को जारी रखना।

iii) सहायता के स्तर को–––––––से घटाकर––––––––––किया जाए।

iv) दर्जे को जारी न रखा जाए।

16. समिति द्वारा संस्तुत वित्तीय आगतों को नीचे दिया गया है :

	अनावर्ती	रुपये (लाख में)
I	उपस्कर	
II	वातानुकूलन सहित भवन (मौजूदा प्रयोगशाला को नया उपस्कर लगाने एवं उसकी संस्थापना हेतु उन्नयन/संवर्धन, विस्तार) (अधिकतम सीमा 20 लाख रुपये तक)	
III	रेपरोग्रफिक्स सुविधाएं	
	आवर्ती	**रुपये (लाख में)**
I	आकस्मिकता/कार्यचालन व्यय रुपये .....प्रतिवर्ष की दर से	
II	रसायन/उपभोज्य/कांच के बर्तन रुपये .....प्रतिवर्ष की दर से	
III	केवल संकाय के सदस्यों के लिए यात्राएं/क्षेत्र सुविधाएं/क्षेत्र भ्रमण (सभी केवल भारत में) रुपये .....प्रतिवर्ष की दर से	
IV	अभ्यागत अध्येता रुपये .....प्रतिवर्ष की दर से	
V	प्रणोद क्षेत्रों पर संगोष्ठियां (संगठनों के लिए) रुपये .....प्रतिवर्ष की दर से	

VI कार्यक्रम के लिए यथासंगत तकनीकी/ औद्योगिक/सचिवालयी सहायता की सेवाएं किराये पर लेना (केवल कार्यक्रम की अवधि के लिए) रुपये ..... प्रतिवर्ष की दर से

VII परामर्शदात्री समिति की बैठकें (समिति में वि0अ0आ0 नामितियों के लिए यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता) रुपये ..... प्रतिवर्ष की दर से

VIII पुस्तकें व जर्नल रुपये ..... प्रतिवर्ष की दर से

विशेषज्ञों के हस्ताक्षर

17. समग्र निष्पादनः

विश्वविद्यालय के विभाग का नाम :

टिप्पणी : कृपया रेटिंग के अनुसार मूल्यांकन के प्रत्येक मानदण्ड को दर्शाएंः–

(1) उत्कृष्ट :

(2) बहुत अच्छा :

(3) अच्छा :

(4) संतोषजनक :

मानदण्ड	औसत	उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	संतोषजनक
मूल्यांकन संकेत के लिए मानदंड					
क. वैज्ञानिक उद्देश्य तथा राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसके समकक्ष					
ख. उपलब्ध/विकसित की गयी आधार–संरचना तथा तकनीकी क्षमताएं					
ग. वैज्ञानिक नेतृत्व संभाव्यता एवं उपलब्ध संगठन क्षमताएं					
घ. प्रौद्योगिक विकास (अर्थात् उपस्कर/सामग्री/प्रणाली/मॉडल जिनका विकास किया गया)					
ड. सृजित जनशक्ति					
च. वैज्ञानिक प्रकाशन					

छ. उद्योग प्रायोजित परियोजना / कार्यक्रम					
ज. उद्योग को छोड़कर अन्य प्रायोजित परियोजना / कार्यक्रम					
झ. विदेशी सहयोग					
ट. प्राप्त / आवेदित पेटेन्ट					

<u>निष्पादन का समग्र श्रेणीकरण</u>

उत्कृष्ट बहुत अच्छा अच्छा संतोषजनक औसत

<u>विशेषज्ञ समिति और वि0अ0आ0 के अधिकारियों के हस्ताक्षर :–</u>

नाम पता और दूरभाष / फैक्स नं. हस्ताक्षर

1.

2.

3.

4.

5.

अनुलग्नक–X

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

अकादमिक गैर–अकादमिक/अनुसंधान स्टॉफ का विवरण

यू.जी.सी. के मंजूरी पत्र की सं. और तिथि

पदनाम तथा वेतनमान	अनुमोदित पदों की संख्या	अर्हताओं सहित नियुक्तियां की संख्या	नियुक्त व्यक्ति का नाम	नियुक्ति की तारीख	नियुक्ति के समय प्रारम्भिक वेतन	वर्तमान वेतन तथा भत्ते	के दौरान वास्तविक व्यय	अनुमानित व्यय यथा दैनिक भत्ता/मकान किराया भत्ता/ भविष्य निधि आदि
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.

क. अकादमिक स्टॉफ : .....

जोड़ .....

ख'. तकनीकी तथा

प्रशासनिक स्टॉफ :

ग. अनुसंधान स्टॉफ : .....

जोड़ .....

प्रमाणपत्र (1). प्रमाणित किया जाता है कि नियुक्तियां/अवार्ड आयोग द्वारा विहित शर्तों और निबन्धनों के अनुसार प्रदान किये गये हैं।

(2). प्रमाणित किया जाता है कि दिखाया गया व्यय किसी अन्य योजना के व्यय विवरण में शामिल नहीं किया गया है बल्कि इसका उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया गया है जिसके लिए अनुदान मंजूर किया गया था।

.....

कुल–सचिव के हस्ताक्षर

स्टॉफ के लिए अनुदान जारी करना

विश्वविद्यालय को अनुदान की पहली किश्त निम्नलिखित सूचना के प्राप्त होने पर जारी की जायेगी। ऐसी सूचना व्यक्ति को पद पर नियुक्त किये जाने के तत्काल बाद भेजी जा सकती है :–

क. नियुक्त व्यक्ति का नाम (दिशा–निर्देशों में प्रदत्त स्टॉफ/छात्रों के अन्तःसृजन (इन्ब्रीडिंग) के संबंध में यू.जी.सी. के निर्णय के अनुसार)।

ख. अकादमिक अर्हताएं तथा अनुभव।

ग. वर्तमान नियुक्ति से पहले पदधारी द्वारा धारित पद।

घ. नये पद के कार्यग्रहण करने की तिथि।

ड. पेशकश किए गऐ वेतनमान में भत्तों सहित मासिक वेतन का ब्यौरा।

च. वित्तीय वर्ष के अंत तक भुगतान की जाने वाली राशि।

छ. दी जाने वाली वेतनवृद्धियों, यदि हों, की संख्या और उसका औचित्य।

झ. यदि नियुक्त किया गया व्यक्ति उसी विश्वविद्यालय का हो तो क्या इसके कारण हुए रिक्त पदों को भरने की कार्रवाई की गयी है? यदि नहीं की गयी है तो उसका कारण दें।

अनुलग्नक–XI

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

'सेप' के अधीन अनुरक्षण (उपस्कर) अनुदान के दावे के लिए प्रोफार्मा

1. विभाग/विश्वविद्यालय का नाम और पता :
2. अनुमोदन का वित्तीय वर्ष (पत्र सं. और तारीख) :
3. विभाग में कार्यक्रम के कार्यान्वयन की तिथि :

उपस्कर का नाम और अनुमोदित सूची में क्र. सं.	अनुमोदित लागत (उपस्कर–वार)	वास्तविक लागत	उपस्कर को प्राप्त करने की तिथि	संस्थापन और चालू करने की तारीख	वारन्टी/गारंटी की अवधि	दस्तावेजों सहित वारन्टी अवधि, यदि हो, के बाद उपस्कर के अनुरक्षण के लिए संविदा पर हस्ताक्षर करना आदि
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

हस्ताक्षर	**हस्ताक्षर**
.....विश्वविद्यालय/	**विश्वविद्यालय का**
संस्था का विभागाध्यक्ष/समन्वयक	**कुल–सचिव**

1. वारन्टी अवधि के व्यतीत हो जाने के बाद खरीदे गये उपस्कर की कुल लागत के 5% का अनुरक्षण अनुदान की प्रथम किश्त जारी की जा सकती है।
2. उपयोग किये गये अनुरक्षण–अनुदान की पहली किश्त के बराबर दूसरी किश्त जारी की जा सकती है अर्थात् किसी भी प्रदत्त समय पर विभाग को उपस्कर की लागत का केवल 5% अनुरक्षण अनुदान दिया जा सकता है। बड़ी मरम्मत के लिए पांच वर्ष की अवधि के भीतर विशेष मामले के रूप में 5% के अतिरिक्त राशि जारी की जा सकती है जो उपस्कर के अनुरक्षण तथा उन्नयन शीर्ष के अधीन पांच वर्ष की अवधि के लिए, देय कुल राशि से अधिक नहीं होगी।

अनुलग्नक–XII

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
नई दिल्ली

(यू.जी.सी. की सभी योजनाओं/कार्यक्रमों पर लागू)

तैयार भवन (वर्तमान प्रयोगशाला के नवीकरण परिवर्धन, परिवर्तन तथा वातानुकूल) के संबंध में उपयोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के लिए प्रोफार्मा

प्रमाणित किया जाता है कि ..... (भवन का नाम लिखें) तैयार हो चुका है जिसका अनुमोदन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पत्र संख्या .....दिनांक .....के अनुसार किया गया था और जिसका अनुमान यू.जी.सी. के पत्र संख्या.....दिनांक ..... के अनुसार किया गया था। सलाहकार समिति ने भवन कार्यक्रम का अनुमोदन कर दिया है और दिनांक ..... को हुई अपनी बैठक में चर्चित उपर्युक्त कार्य का व्यय ब्यौरा नीचे दिया जा रहा है:

यू.जी.सी. के पत्र संख्या .. .. दिनांक .... के द्वारा अनुमोदित मूल अनुमानित लागत	अनुमोदित लागत के समक्ष पत्र सं..... ..... दिनांक ..... के अनुसार अन्तिम/संशोधित अनुमानित लागत (यदि हां)	अनुमोदित लागत के समक्ष यू.जी.सी. का अंश विश्वविद्यालय/प्रबंधन	यू.जी.सी. द्वारा अब तक जारी किया गया कुल अनुदान ... .रुपये हैं	राज्य/सरकार/विश्वविद्यालय प्रबन्धन की अशंधारिता	राज्य सरकार द्वारा वास्तव में जारी किया गया अनुदान	.... को किया गया कुल व्यय	जारी किये जाने के लिए अपेक्षित राशि, यदि हो
(रुपये लाख में)		(रुपये लाख में)			(रुपये लाख में)		(रुपये लाख में)

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त व्यय निम्नलिखित ब्यौरे के अनुसार किया गया है :–

1. भूदृश्य–निर्माण, पहुंच मार्ग, वृक्षारोपण आदि सहित स्थल विकास की लागत।
2. सिविल निर्माण कार्यों की लागत।
3. बिजली की तार लगाने तथा फिटिंग की लागत।
4. जल आपूर्ति, मल व्ययन सेनीटरी फिटिंग की लागत।
5. साज–सज्जा तथा फर्नीचर की लागत।
6. कोई अन्य (उल्लेख करें)।
7. निर्माण एजेंसी का पर्यवेक्षण प्रभार।

कुल जोड़ :

सलाहकार समिति को संशोधित प्रमाण–पत्रः

प्रमाणित किया जाता है कि भवन, यू.जी.सी. द्वारा अनुमोदित नक्शों और अनुमानों के अनुसार तैयार हो गया है।

1. यह प्रमाण–पत्र, व्यय के लेखापरीक्षित/अलेखापरीक्षित विवरण पर आधारित है।
2. प्रमाणित किया जाता है कि भवन और फिटिंग/साज–सज्जा को विश्वविद्यालय/कॉलेज परिसम्पत्ति/स्टॉफ खाता/रजिस्टर में चढ़ा दिया गया है।

सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर :

पूरा नाम :..... पदनाम :.....

(उपयोग प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत करने वाले विश्वविद्यालय या कार्यकारी निकाय की संकल्प सं.....दिनांक .....)

अभ्युक्तियां: यदि भवन का निर्माण (नवीकरण/परिवर्धन/परिवर्तन) किसी वास्तुविद् (व्यक्ति या फर्म) द्वारा किया जाता है तथा समापन लागत के प्रमाण–पत्र पर किसी ऐसे इंजीनियर के प्रति–हस्ताक्षर होंगे जिसका ओहदा राज्य/केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के किसी कार्यपालक इंजीनियर से कम नहीं होगा।